

जून 2020

तर्ष : 15

अंक : 06 कतर सहित पृ. सं. 44

ISSN 2277-5331

हाशिये की आवाज़

संघर्षरत लोगों की प्रथम मासिक पत्रिका



सतत आर्थिक विकास के लक्ष्य

हाशिये की आवाज़

संघर्षरत लोगों की प्रथम मासिक पत्रिका



संपादक

डॉ. भिनसेन्ट एक्का

सहायक संपादक

अरुण कुमार उरांव

सह-संपादक

डॉ. रलेश कातुलकर

सैयद परवेज़

सदस्यता शुल्क

वार्षिक सामान्य डाक : ₹ 220

रजिस्टर्ड पोस्ट : ₹ 420

द्विवार्षिक सामान्य डाक : ₹ 440

रजिस्टर्ड पोस्ट : ₹ 840

सदस्यता शुल्क राशि डी.डी./
पोस्टल ऑर्डर/मनीऑर्डर द्वारा
इंटीग्रेटेड सोशल इनिशिएटिव्स के
नाम पर भेजें।

इंटीग्रेटेड सोशल इनिशिएटिव्स
(Integrated Social Initiatives)

10-इन्स्टीट्यूशनल एरिया

लोदी रोड, नई दिल्ली-110005

फोन : 011-49554157/152

वेब : www.isidelhi.org.in

ईमेल : hka@isidelhi.org.in

hashiyekiaawaz@gmail.com

'हाशिये की आवाज़' के जिन सदस्यों को
किन्हीं तकनीकी कारणों से अपनी प्रति प्राप्त
नहीं होती है, वे द्रुप विषय में हमें तीन माह के
अन्दर ईमेल से सूचित कर निःशुल्क वैकल्पिक
प्रति प्राप्त कर सकते हैं, किन्तु तीन महीनों के
उपरान्त मिलने वाली सूचना पर हम आपको
निःशुल्क प्रति उपलब्ध कराने में असमर्थ रहेंगे।

ईमेल :

publication@isidelhi.org.in

फोन : 011-49554152/155

इस अंक में

- | | |
|--|----|
| सतत विकास के लक्ष्यों में भारत की स्थिति (सम्पादकीय) | 1 |
| अरुण कुमार उरांव | |
| बंधित समाज को शिक्षा से दूर करती नौकरशाही व्यवस्था | 2 |
| आरती रानी प्रजापति | |
| आधी आबादी पर कोरोना वायरस का प्रभाव | 6 |
| डॉ. प्रत्युष प्रशान्त | |
| महात्मा गाँधी नेगा और महिला सशक्तिकरण (रीवा जिला के सन्दर्भ में) | 9 |
| अरविन्द कुमार राजपूत | |
| बढ़ती कोरोना महामारी में राजनीति की तेज होती धार! | 13 |
| सुनील कुमार | |
| कोरोना महामारी के दौर में भारत का बंधित समुदाय | 16 |
| जावेद अनीस | |
| मीडिया बनाम महामारी : कौन किस पर भारी | 18 |
| मोहम्मद जावेद अलिंग | |
| कोविड-19 का मनोवैज्ञानिक असर | 20 |
| डॉ. कृष्णचन्द्र चौधरी | |
| कोरोना संकट का जानलेवा दस्तक | 25 |
| विवेकानन्द माथने | |
| लॉकडाउन में मजदूर हुए मजबूर! | 28 |
| राजकुमार बोहत | |
| धर्म समाज की सेवा कैसे करता है! | 29 |
| डॉ. टोनी पी. एम. | |
| निरासा (कहानी) | 32 |
| डॉ. नीरा परमार | |
| माँ का संदूक (लघुकथा) | 36 |
| नीरज त्यागी | |
| कवियों की पंक्तियाँ | 37 |
| देवचन्द्र भारती 'प्रखर', राधा वाल्मीकि, डॉ. श्रद्धा | |
| समर्पित जीवन को सत्ताम! (विदाई समारोह) | 39 |
| डॉ. भिनसेन्ट एक्का, डॉ. अर्चना सिन्हा, डॉ. वैजामिन बारा | |

हाशिये की आवाज़ में प्रकाशित लेख एवं उनमें व्यक्त विचार लेखकों के निजी विचार हैं। सम्पादक तथा प्रकाशक लेखों में व्यक्त विचारों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

सतत विकास के लक्ष्यों में भारत की स्थिति

सामान्य शब्दों में सतत विकास का अर्थ है—वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य के लिए संसाधनों को संरक्षित करना। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2030 तक सभी सदस्य देशों को निर्धारित किए गए, सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करना है। इस विकास लक्ष्य में 169 प्रयोजन अंगीकृत किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा को इस तथ्य का आकलन हो गया है कि मानव समाज को अगर पृथ्वी पर बचाए रखना है तो पर्यावरण को संरक्षित करना जरूरी है। पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग के अन्तर्गत ब्रन्दलैंड कमीशन का गठन किया गया। ब्रन्दलैंड कमीशन ने वर्ष 1987 में एक रिपोर्ट जारी कर यह स्पष्ट कर दिया कि विकास का तात्पर्य प्रकृति का दोहन करना नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना ही सतत विकास है। इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद सदस्य देशों के सामने समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि तीसरी दुनिया के देश आज भी कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 17 सतत विकास के लक्ष्यों का निर्धारण किया, जो इस प्रकार हैं—गरीबी से मुक्ति, खाद्य सुरक्षा एवं कृषि को बढ़ावा, स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा, बेहतर शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ पानी की आपूर्ति, सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा की व्यवस्था, समावेशी आर्थिक विकास के ढांचे, महानगरों, समुद्रों का संरक्षण, परिस्थितिकीय प्रणालियों की सुरक्षा, जिसमें जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकना मुख्य है। सम्पूर्ण विश्व पर्यावरण के संकट के साथ-साथ जीवन यापन के मूलभूत संसाधनों के लिए संघर्ष कर रहा है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2030 का लक्ष्य रखा है।

क्या कोरोना महामारी के बाद इस लक्ष्य को समयसीमा के अंदर पूरा किया जा सकेगा? सतत विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार कौन सी कदम उठा रही है, इसका आकलन करना जरूरी है। वित्त वर्ष 2018-19 का बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने सतत विकास के लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा था कि हमें जलवायु परिवर्तन, संसाधन दक्षता और वायु प्रदूषण के बारे में सोचना होगा। इसके साथ-साथ सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित कई योजनाओं के नाम भी गिनाए, जिसमें प्रमुख हैं— स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटीज, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, ग्राम ज्योति योजना एवं उज्ज्वला योजना आदि।

कोरोना संकट के मद्देनजर, सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत नमामि गंगे के लिए करोड़ों रुपए आबंटित किये गये। गंगा की सफाई के मुद्दे को लेकर पर्यावरणविद् स्वामी सानंद अनशन पर बैठे थे, बाद में उनकी मौत भी हो गई, यदि सरकार की इसी प्रकार की रवैया रही तो क्या हम नदी, समुद्र और महासागरों का संरक्षण कर पाएंगे और सतत विकास के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ पाएंगे? प्रस्तावित योजना 'बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ' के प्रचार-प्रसार में सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन जब काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की छात्रों ने छेड़छाड़ के खिलाफ विश्वविद्यालय में आवाज उठाई तो उनकी आवाजों को पुलिस द्वारा कुचल दिया गया। प्रश्न है क्या सरकार सतत विकास के लैंगिक भेदभाव को समाप्त कर पाएगी? सरकार भारत की जनता को स्मार्ट सिटीज, जनधन योजना, ग्राम ज्योति योजना एवं उज्ज्वला योजना को हर चौराहे पर प्रचारित कर रही है। लेकिन कोरोना महामारी ने इन सारी योजनाओं की पोल खोलकर रख दी है। गरीब एवं दिहाड़ी मजदूरों को लॉकडाउन के कारण रोजगार के साथ-साथ सिर छुपाने की छत और रोटी तक गवानी पड़ी। आखिर में थक हार कर पैदल ही गांव की तरफ चल दिए। वर्तमान सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं में अगर थोड़ी भी सच्चाई होती तो शायद महामारी के इस दौर में इस तरह की मार्मिक दृश्य देखने को नहीं मिलती। महामारी के कारण खराब हुए आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने राहत पैकेज का एलान किया है, लेकिन उन राहत पैकेजों की सच्चाई जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है। कोविड-19 ने विश्व अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। भारत जैसे देश में गरीबों की हालत बदतर हो गई है। क्या सतत विकास के लक्ष्य को सरकार वोट बैंक का लक्ष्य तो नहीं बना रही है? सतत विकास के लक्ष्य का सपना सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाय और देश में शिक्षा, गरीबी, भुखमरी, जल, जंगल की स्थिति और बदतर न हो जाये।

अरुण कुमार उरांव

सहायक सम्पादक

बंधित समाज को शिक्षा से दूर करती नौकरशाही व्यवस्था



दिल्ली विश्वविद्यालय का नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड और एसओएल जैसी संस्थाएं अपने पदाधिकारियों एवं कॉलेज इंचार्ज की तानाशाही के कारण हजारों युवाओं को जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों शामिल हैं, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जहां इन दोनों संस्थानों के शिक्षक एवं छात्रों को सम्मान एवं न्यूनतम सुविधा के साथ-साथ वेतन मिलना चाहिए था, वह इनसे कोशों दूर है।

||आरती रानी प्रजापति

दिल्ली विश्वविद्यालय एक ऐसा संस्थान है, जो कई युवाओं के सपनों को पूरा करने का मौका देता है। इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत कई कॉलेज और विभाग आते हैं। 12वीं की परीक्षा देते ही छात्र-छात्राएं दिल्ली विश्वविद्यालय के सपने देखने लगते हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह संस्थान प्रायः प्रत्येक वर्ग के बच्चों को अपने में समेटता है। इसके अर्न्तगत आने वाले एनसीडब्ल्यूईबी (नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड) और एसओएल (स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग) दिल्ली विश्वविद्यालय के ऐसे भाग हैं, जो उन छात्रों को पढ़ने

का मौका उपलब्ध कराते हैं, जिन्हें कई कारणों से रेगुलर कॉलेज में जाने का मौका नहीं मिल पाता है। रेगुलर कॉलेज की हाई फीस और परसेंटेज हर भारतीय नागरिक के लिए आसान नहीं है। अच्छे प्रतिशत लाने का भी अपना एक सामाजिक आर्थिक पहलू होता है। जो बच्चा दिन-रात एक छोटे से कमरे में अपने भाई-बहन के साथ रहता हो, जिसके मां-पिता दाल-रोटी में जुटे हों और बात-बात पर एक दूसरे से नाराज होकर झगड़ते एवं गालियां देते हों और मां को हर छोटी-बड़ी बात पर मारते पीटते हों, ऐसी परिस्थिति में एक माँ दूसरों के घरों में काम करके बच्चों का पेट पालती हो जैसे बच्चों के लिए उच्च शिक्षा में ज्यादा प्रतिशत लाना थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा इसलिए क्योंकि इन हालातों से भी निकलकर कई बच्चों ने समाज के सुविधा संपन्न बच्चों को पीछे छोड़ा है।

खैर एसओएल और एनसीडब्ल्यूईबी उन बच्चों को विशेष अवसर देते हैं, जिनकी प्रतिशत थोड़ी कम हो, जो रेगुलर कॉलेज में दाखिला लेने में रुचि ही नहीं रखते हों, पढ़ाई के साथ जिनपर घर चलाने की जिम्मेदारी हो, जिनके पास रेगुलर कॉलेज की फीस एवं उसके खर्च को उठाने की क्षमता न हो। ऐसी परिस्थिति में एनसीडब्ल्यूईबी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। भारतीय समाज में लड़कियों का पढ़ना-पढ़ाना आज भी ऐश्वर्य माना जाता है, ऐसे में नॉन कॉलिजिएट महिला शिक्षा बोर्ड देश की लड़कियों को यह सुविधा देती है कि वह सिर्फ लड़कियों के बीच रहकर शिक्षा प्राप्त कर सके, क्योंकि कुछ माता-पिता 21वीं शताब्दी में भी लड़कियों को लड़कों के साथ पढ़ाने में परहेज करते हैं।

जब समाज के पिछड़े तबके के बच्चे अकसर एनसीडब्ल्यूईबी और एसओएल के छात्र बनते हैं, तो ऐसे में संस्थान और सरकार दोनों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसे संस्थानों की शिक्षा का स्तर ऊंचा रखें। यहां पढ़ने वाले बच्चों को अपने अथक प्रयासों द्वारा रेगुलर कॉलेज के छात्रों की तरह बनाने की बात की जाती है, लेकिन यह सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। इन दोनों ही संस्थानों (एनसीडब्ल्यूईबी और एसओएल) में शिक्षकों की भर्ती से लेकर बच्चों को पढ़ाने की सामग्री तक में लापरवाही बरती जाती है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के छात्रों की प्रत्येक वर्ष यह शिकायत रहती है कि उन्हें अध्ययन सामग्री समय पर नहीं मिलती है। इन दोनों संस्थानों को कक्षाएं कम-से-कम दी जाती हैं, ताकि इनमें पढ़ने वाले छात्रों और पढ़ाने वाले शिक्षकों पर कम समय में पूरा पाठ्यक्रम समाप्त करने का मानसिक तनाव बना रहे। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और नॉन कॉलिजिएट महिला शिक्षा बोर्ड के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर बात की जाए तो यहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में तदर्थ नियुक्ति बिना किसी पहुंच के नहीं होती। विश्वविद्यालय में सक्रिय राजनीतिक संगठन अपने-अपने उम्मीदवार साक्षात्कार में भेजते हैं। जिसकी ज्यादा पहुंच उसकी उतनी सीट पक्की।

यह कहना अपवाद नहीं होगा कि पहुँच बनाने के लिए एक वर्ग, समुदाय या भारत जैसे देश में जाति विशेष का होना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर आप किसी के काबिल नहीं रह जाते। आपको 'नॉट सूटेबल' घोषित कर दिया जाता है। आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय में आरक्षित सीटों पर गैर आरक्षित वर्ग का चयन सामान्य बात है। कुछ समय से तदर्थ एवं स्थाई शिक्षकों की हितैषी दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक

संघ ने 'तदर्थ शिक्षकों को उसी कॉलेज में काम दिया जाए' जैसे मुद्दे को उठाया था। इसके बाद कॉलेजों में तदर्थ शिक्षकों का साक्षात्कार ही नहीं होने दिया गया। फिर भी कुछ जगहों पर साक्षात्कार हुए लेकिन वह सिर्फ दिखावा था। बात यही पर खत्म नहीं होती है। एक ही कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की दादागिरी से पढ़ा रहे तदर्थ शिक्षक अब उसी कॉलेज में स्थायी नियुक्ति की मांग को उठा रहे हैं, जिसके तहत दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले दिनों कई आंदोलन भी किए गए। ऐसी स्थिति में शोधकर्ताओं, कई साल से एम.फिल, पीएचडी, पीडीएफ कर चुके बेरोजगार युवाओं के पास एनसीडब्ल्यूईबी और एसओएल ही अंतिम विकल्प रह जाता है।

बेरोजगारी का आलम यह है कि इस नियुक्ति के लिए एनसीडब्ल्यूईबी और एसओएल में जान-पहचान होनी आवश्यक है। 2019 में एनसीडब्ल्यूईबी की निदेशक डॉ. गीता भट्ट को नियुक्ति पत्र 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर दिया गया था। नियुक्ति पत्र लेने के लिए आवेदकों को सुबह 10.30 बुलाया गया था, लेकिन लोग 8 बजे से आकर लाइन में लग गए। जिनमें अधिकतर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पढ़ाने की न्यूनतम योग्यता यानी बीए, एमए के बाद नेट और जेआरएफ में उत्तीर्ण थे। जाहिर सी बात है कि एमए, नेट विद्यार्थी पीएचडी धारक से कम योग्यता रखता है। विडम्बना यह है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को धारण किए हुए युवा बीए के छात्रों के शिक्षक थे और अधिकतम योग्यता वाले बेरोजगार बैठे थे।

एनसीडब्ल्यूईबी की निदेशक का कहना था कि उन्होंने विभाग द्वारा जारी किया गया एडहॉक पैनल को ध्यान में रखते हुए यह चयन (पहले आओ पहले पाओ) किया। विभाग के आधार पर एडहॉक पैनल बनाना भी एक गंभीर समस्या है। दिल्ली विश्वविद्यालय में एडहॉक पैनल बी.ए, एवं एम.ए की योग्यता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यदि आपने बी.ए एवं एम.ए फर्स्ट डिविज़न जे.आर.एफ., नेट और पीएचडी धारक हैं, तो आपको एडहॉक पैनल में प्रथम श्रेणी में रखा जाएगा। यदि आप पीएचडी हैं, लेकिन आपका बी.ए या एम.ए दोनों में से कोई एक फर्स्ट डिविज़न नहीं है तो आप दूसरी श्रेणी के हकदार हैं। यदि आप बीए, एमए फर्स्ट डिविज़न हैं, लेकिन पीएचडी अभी हुई नहीं है तो आप तृतीय श्रेणी में शामिल होंगे। यदि बीए एमए में से किसी एक में प्रथम एवं दूसरे में द्वितीय डिविज़न से पास किए हैं तो आप चौथी श्रेणी में जाएंगे। ऐसे करते

हुए हर विषय में 6-7 श्रेणी बनाई गई हैं। सभी श्रेणी में पीएचडी धारक भी आते हैं। विभाग में ही पीएचडी जैसी विशेषज्ञता से ज्यादा महत्व बीए एवं एमए के फर्स्ट डिविजन को दिया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में जब भी साक्षात्कार होता है, इन श्रेणियों के आधार पर ही आवेदक बुलाए जाते हैं। सबसे ज्यादा हास्यास्पद यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में वर्ष 2011 से पहले अच्छे अंक देने का चलन ही नहीं था। पहली श्रेणी में पास होना मतलब रात दिन बस विषय को घोंट कर पी जाना था। लेकिन अब वही विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को 80 से 85 प्रतिशत अंक देता है। ऐसे में वे लोग जो काफी परिश्रम करने के बाद भी 60 प्रतिशत नहीं ला पाए, वे आज के बी.ए., एम.ए प्रथम श्रेणी से पास हुए बच्चों से पीछे रह जाते हैं। चार श्रेणी के बाद वाले अधिकतर आवेदक बेरोजगार ही रह जाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय उन्हें पढ़ाने का मौका नहीं देता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चार श्रेणी से लेकर उसके बाद तक की श्रेणी में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, जातिगत रूप से उन पिछड़े वर्गों के भावी शिक्षक हैं, जो शिक्षा प्राप्त करने वाली पहली पीढ़ी के हैं। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के लिए जो आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, उसमें पहले से अपने जानने वालों को ही रखा जाता है। फिर बिना किसी नियम-कानून के लोगों को फोन कर के पढ़ाने के लिए कॉलेज में बुलाया गया। इस विभाग की चयन पद्धति आज तक एक रहस्य बनी हुई है।

सितम्बर 2019 से एनसीडब्ल्यूबी और एसओएल की कक्षाएं प्रारम्भ हुईं। इसके बाद बार-बार कॉलेज प्रमुख विभिन्न प्रकार के काम देते रहे, जिन्हें बेरोजगार शिक्षक चुपचाप करते भी हैं। लेकिन सत्र खत्म होने के बाद भी वेतन नहीं दिया गया। जनवरी से नया सत्र शुरू हुआ। जनवरी से शुरू हुई कक्षाएं मई तक चलने वाली थीं, लेकिन सरकार की लापरवाही ने देश में कोविड-19 जैसे महामारी को आने दिया और लॉकडाउन की घोषणा कर दी, जिसके कारण मार्च से कक्षाएं ऑनलाइन लेने का प्रावधान किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के नोटिस को ज्यों-का-त्यों मानते हुए एनसीडब्ल्यूबी और एसओएल के अतिथि शिक्षकों को भी ऑनलाइन क्लास लेने के लिए कहा गया। विद्यार्थियों को पढ़ाने का नोटिस तो दिया गया, लेकिन इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई कि इन कक्षाओं का वेतन दिया जाएगा या नहीं। लेकिन देश का युवा शिक्षा को लेकर जागरूक है, वह

बिना इस बात को जाने की पैसा कितना मिलेगा और ऑनलाइन क्लास लेना आरंभ कर देता है।

देश के प्रधान सेवक जनता को आश्वासन देते हैं कि सबका ध्यान रखा जाएगा तो दूसरी ओर देश के मजदूर पैदल ही अपने घरों की ओर निकल पड़ते हैं। उन्हें रास्ते में पुलिस पकड़ती है, मारती है। महिलाएं चलती सड़क पर बच्चा पैदा करने को मजबूर हैं फिर भी वह चलते जा रही हैं। इन मजदूरों के लिए कुछ समाज सेवी संस्था लगातार काम कर रही हैं। इसके बावजूद मजदूरों की हालत में कोई सुधार नहीं है। दूसरी तरफ दिल्ली विश्वविद्यालय के एनसीडब्ल्यूबी और एसओएल के अतिथि शिक्षक अपनी मेहनत की कमाई को लेकर बाट जोह रहे हैं। उसकी मेहनत की कमाई के लिए प्रशासन की ओर से लगातार बहाने बनाए जा रहे हैं। इन अतिथि शिक्षकों की हालात मजदूरों जैसी है, जिनसे काम तो करवाया जाता है, लेकिन उसके बदले मेहनताना नहीं दिया जाता है। लॉकडाउन में सरकार द्वारा घर के मददगार तक के वेतन को रोकने से मना किया गया है ऐसे में एनसीडब्ल्यूबी और एसओएल अतिथि शिक्षकों का वेतन रोके रखना कहां तक उचित है? लॉकडाउन का हवाला देकर इन अतिथि शिक्षकों को आश्वस्त किया जाता है कि निश्चिन्त रहिए पैसा आ जाएगा। पैसा कब आएगा इसकी कोई लिखित जानकारी एनसीडब्ल्यूबी और एसओएल से अभी तक नहीं आई है। साथ ही यह भी षडयंत्र किया जा रहा है कि अभी इन अतिथि शिक्षकों को 1000 रुपए पकड़ा देते हैं, बाद में आपको 500 रुपए भी दे दिए जाएंगे। जिसका कोई लिखित नोटिस तक जारी नहीं हुआ है। यह वेतन न होकर भीख हो गई है, जब जितना मन किया उतना जब से निकाल कर दे दिया।

अभी तक कुछ अतिथि शिक्षकों को 1000 प्रति कक्षा के हिसाब से वेतनमान दिया गया यानी 500 रुपए प्रति कक्षा के हिसाब से वेतनमान में कटौती की गई है। यह वेतनमान टैक्स काट कर दिया गया है। यहां निवाला मुँह तक दिया तो गया लेकिन आधा खुद खा गये। ऑनलाइन क्लास के लिए कोई गाइड लाइन अभी तक एनसीडब्ल्यूबी और एसओएल ने जारी नहीं की है। वेतनमान के लिए भरा जाने वाला फार्म भी अभी जारी नहीं हुआ है। लेकिन एनसीडब्ल्यूबी और एसओएल में ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुकी है। इस क्लास के तहत शिक्षक बच्चों को बिषय से संबंधित पीडीएफ कॉपी भेजते हैं और गूगल मीट पर क्लास लेते हैं। बिना इस बात

को जाने कि वह अतिथि शिक्षक इस सुविधा में है भी या नहीं। ऑनलाइन क्लास अतिथि शिक्षक पर यह थोपा गया है। बिना पैसों के नेट का रिचार्ज करना संभव नहीं है, लेकिन यह बात एनसीडब्ल्यूईबी और एसओएल के अधिकारी नहीं समझ सकते। एनसीडब्ल्यूईबी और एसओएल प्रशासन की नकामी, बेरोजगार अतिथि शिक्षकों को तंग करने की राजनीति, उनका वेतन काटने की नीयत ने मात्र 1500 रुपये प्रति कक्षा की दर से जिसको वेतन मिलना था, उसे भी नहीं दिया, जिससे एनसीडब्ल्यूईबी और एसओएल के अतिथि शिक्षक अपनी मेहनत की कमाई न मिलने के साथ-साथ 1500 के बजाए 1000 प्रति कक्षा की घोषणा से परेशान हैं, लेकिन इस बात को प्रशासन में बैठे लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके खाते में महीने के एक निश्चित समय पर वेतन आ जाता है। बिना किसी नोटिस के एनसीडब्ल्यूईबी और एसओएल अपने अतिथि शिक्षकों से काम करवा रहा है। ऐसे में कॉलेज प्रमुख अपनी मनमानी चला रहे हैं। वह कभी (छात्र-शिक्षक) के निजी व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहते हैं, कभी कक्षा के गूगल मीट लिंक को शेयर करने की मांग करते हैं, ताकि वह शिक्षक की ऑनलाइन कक्षा में जबरन घुसकर देख सके कि वह शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, जबकि ऐसा करने का कोई लिखित नोटिस नहीं है। यदि शिक्षक छात्रों की निजता और उनके तनाव रहित रहकर एवं नियम का हवाला देते हुए इंचार्ज को गूगल मीट का लिंक देने के तुगलकी फरमान को मानने से मना करते हैं, तो इंचार्ज उन्हें वेतन न दिए जाने, वेतन काट लेने आदि की धमकी देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एनसीडब्ल्यूईबी और एसओएल के अतिथि शिक्षक वर्तमान समाज के ऐसे नौकर बन गये हैं, जिन्हें जब चाहे कोई भी हांक सकता है।

नॉन कॉलिजिएट महिला शिक्षा बोर्ड और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में पढ़ने वाले अधिकतर छात्रों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होती है। ऐसे में डिजिटल इंडिया में भी सभी छात्र ऑनलाइन क्लास में शामिल नहीं हो पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण पैसे का अभाव, मोबाइल में इंटरनेट डेटा का नहीं होना, सुबह 9 से शाम 4 बजे तक लगातार फोन इस्तेमाल करने से कुछ छात्रों ने आंख एवं सिर में दर्द की शिकायत की है। कई विद्यार्थी फोन बार-बार डिस्चार्ज होने, नेट खत्म हो जाने, घर में आर्थिक समस्या के कारण नेट न रिचार्ज कर पाने जैसी समस्या को झेलते हैं। छात्रों की कक्षा उपस्थिति 40 प्रतिशत से भी कम थी। जब

छात्राओं से किसी तरह से सम्पर्क करके क्लास के समय ऑनलाइन मौजूद नहीं रहने का कारण पूछा तो उन्होंने घर की आर्थिक स्थिति जाहिर कर दी। कुछ बच्चे मजदूर वर्ग से हैं, जो कोरोना के कारण अपने घर, शहर की ओर पलायन करने पर मजबूर थे। ऐसे में देश का शिक्षा तंत्र ऑनलाइन क्लास के बाद अब ऑनलाइन पेपर करवाना चाहता है। मतलब कुछ लोग ही पेपर दे पायेंगे, जो इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। जहां बच्चे खाने के पैसे के लिए तरस रहे हैं, वहां ऑनलाइन शिक्षा पद्धति उनके सपनों की हत्या की तरह है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान लड़कियों की शिक्षा पर होगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय की नॉन कॉलिजिएट महिला शिक्षा बोर्ड और एसओएल जैसी संस्थाएं अपने पदाधिकारियों एवं कॉलेज इंचार्ज की तानाशाही के कारण हजारों युवाओं को जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों शामिल हैं, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ कर रही है। जहां इन दोनों संस्थानों के शिक्षक व छात्रों को सम्मान एवं न्यूनतम सुविधा के साथ-साथ वेतन मिलना चाहिए था, वह इनसे कोसों दूर है। □□

लेखिका : अदिति महाविद्यालय, नॉन कॉलिजिएट महिला शिक्षा बोर्ड में अतिथि शिक्षक हैं एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शोधार्थी हैं
ईमेल : aar.prajapati@gmail.com

आगामी अंक

“हाशिये की आवाज़”

जुलाई 2020

बहुजन साहित्य एवं समाज

अगस्त 2020

विस्थापन बनाम विकास

प्रकाशन हेतु hka@isidelhi.org.in

‘हाशिये की आवाज़’ पत्रिका के पाठकों से अपेक्षा की जाती है कि पत्रिका और प्रकाशित रचनाओं की गुणवत्ता और उपयोगिता के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया

‘सम्पादक के नाम पत्र’

के रूप में

hka@isidelhi.org.in

hashiyekiaawaz@gmail.com

में भेज सकते हैं। रिपोर्ट/न्यूज/पत्र की अधिकतम शब्द संख्या 600 तक हो।

आधी आबादी पर कोरोना वायरस का प्रभाव



सरकार और प्रशासन को कोरोना वायरस के इस महामारी में लिंग-ब्राधारित परिणामों पर ध्यान देना चाहिए। सामाजिक नेटवर्क को सुनिश्चित करना चाहिए कि वैश्विक महामारी से लैंगिक समानता के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां नष्ट न हो जाएं।

|| डॉ. प्रत्युष प्रशांत

देश कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन अपने चौथे चरण में पहुंच चुका है। इसके बावजूद वायरस संक्रमण के समाप्त होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। यह स्वास्थ्य और आर्थिक दृष्टिकोण से देश के लिए बुरी खबर है। यह खासकर महिलाओं के लिए, जिनको वायरस प्रसार का खमियाजा एक नहीं अनेक मोर्चों पर भुगतना पड़ रहा है।

महिलाएं और कोविड-19 से तात्पर्य उन महिलाओं से है जो लॉकडाउन के बावजूद कई क्षेत्रों में बढ़-चढ़कर अपना योगदान दे रही हैं। जाहिर है आधी आबादी का एक बड़ा हिस्सा स्वयं को मानवता की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया है। युद्ध, अकाल या महामारी का समय हर वर्ग पर अलग-अलग तरीके से अपनी छाप छोड़ता है। अगर हम पहले की घटनाओं पर नज़र डालें तो पता चलेगा कि इसमें सबसे ज्यादा महिलाओं को ही कुर्बानी देनी पड़ी है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस महामारी के बाद भी यही स्थिति उत्पन्न होने वाली है और महिलाओं पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। आज महिलाएं भी महामारी से निपटने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं।

इस महामारी से प्रभावित महिलाओं की पहली श्रेणी स्वास्थ्यकर्मी के तौर पर है जिसमें नर्सों, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिसे साधारण शब्दों में 'आशा' के नाम जाना जाता है, इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं, जो इस महामारी से

निपटने के लिए पहली कतार पर खड़ी हैं। वर्ष 2015 में प्रकाशित भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में सहायक एवं संलग्न कर्मचारियों में मुख्यतः नर्स, दाई और आशा के 88.9 प्रतिशत महिलाएं हैं, जिसे 68वां राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में जारी किया गया था। अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों की भीड़ आ रही है दाई और आशा संक्रमित मरीजों की तलाश में एक योद्धा की तरह काम कर रही हैं। उनके पास उचित सुरक्षा किट भी नहीं हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में स्वास्थ्यकर्मियों के तौर पर महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। यह भारत समेत 107 देशों में स्वास्थ्यरक्षा कर्मियों का 70 प्रतिशत है। कोविड-19 के असली लड़ाके तो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं। इंडिया में कुल 1.9 करोड़ हेल्थ वर्कर्स हैं, इसमें से 77 प्रतिशत महिलाएं हैं, सीधे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि इस लड़ाई को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का ही है। इसके बावजूद अगर किसी को इस बात को लेकर आशंका है कि महिलाएं बेहतर भूमिका नहीं निभा सकती हैं तो उनके लिए हैल्थकेयर सर्विस के आंकड़े जवाब के रूप में मौजूद हैं। आज कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं।

इन दिनों हम कई महिलाओं की चर्चा सुन रहे हैं, जिसमें गर्भवती महिलाएं एवं नवजात बच्चों को लेकर महिलाएं काम कर रही हैं। इस तरह कई महिलाएं रोजगार, घर या भोजन से महरूम होने के बावजूद शहरों में फंसी हुई हैं, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी चीजें भी उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन गांव से आए मजदूरों के लिए आफत बनकर टूट पड़ी है। इसके साथ-साथ शहर में निवास कर रहे, गरीबों के लिए बेरोजगारी एक आर्थिक विनाश का कारण बन गयी है। अब सवाल है कि क्या वह महिला कोविड-19 के खिलाफ जंग नहीं लड़ रही है, जिसने अपने बच्चे को जन्म तो दे दिया है लेकिन नवजात शिशु को समुचित पोषण ही नहीं अपना दूध तक नहीं पिला पा रही है?

कोविड-19 में महिलाओं की हिम्मत और जज्बात को हम सभी सलाम करते हैं, क्योंकि कोरोना से संक्रमित होने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स में से सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। दिन-रात हॉस्पिटल में रहकर महिलाएं अपनी जान जोखिम में डाल कर इस महामारी के खिलाफ लड़ रही है।

न्यूजीलैंड की आकलैंड युनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी

की प्रोफेसर इलेनार होलरायड अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताती है कि 2003 में सार्स महामारी के समय वह हांगकांग के एक विश्वविद्यालय में नर्सिंग की प्रोफेसर थी। उन्होंने यह बताया कि यह "समझा जाता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई कमी होने पर नर्स उस खाली स्थान को भर देंगी। उनका दायित्व हमेशा देखभाल के साथ-साथ संवेदनाओं से भरा होता है। महामारी के अनिश्चित काल में उन्हें अपने बीमार बच्चे या पति के अलावा माता-पिता का भी खयाल रखना पड़ता है। इन सबके बावजूद नर्सों से यह आशा की जाती है कि वे ड्यूटी पर डटे रहे।" उनकी बातों से काफी लोग सहमत भी होंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि देश के लिए उनका योगदान काफी सराहनीय है। आम लोगों को उनके इस कार्य के लिए सराहना करना चाहिए और बिना किसी पूर्वाग्रह के ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, जो इस समय अपनी जान जोखिम में डालकर इस महामारी से लड़ रहे हैं। इसीलिए हमें महिलाओं के बारे में चर्चा करना जरूरी है।

इस संकट का महिलाओं पर तुलनात्मक रूप से भारी प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि भारत में महिलाओं के श्रम सहभागिता की दर में गिरावट आयी है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर कोरोना वायरस के संक्रमण का असली प्रभाव पड़ने के कारण आने वाले महीनों में महिला कामगारों की मांग और बढ़ सकती है। वैश्विक महामारी के कारण वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ-साथ अनेक महिलाएं जो वर्तमान समय में घर पर रहकर काम कर रही हैं उन्हें अंततः नौकरी से हटाया जा सकता है या मंदी की स्थिति में काम पर लौटने के बाद उनके वेतन में कमी की जा सकती है। अनेक ऐसे व्यापारिक क्षेत्र हैं, जिसके अस्थाई या स्थाई रूप से बंद होने के बाद उसका नकारात्मक प्रभाव उनके रोजगार पर पड़ेगा, जहां आज भी महिलाओं का वर्चस्व है, जैसे फ्लाइट अटेंडेंट, ट्रूप ऑपरेटर, सेल्स अरिस्टेंट, होटल कर्मचारी एवं सफाईकर्मी शामिल है।

अतीत में आए वैश्विक महामारियों में इबोला, जीका, सार्स, स्वाइन फ्लू एवं बर्ड फ्लू के अध्ययन से पता चलता है कि इसका लैंगिक समानता पर गहरा एवं स्थाई प्रभाव पड़ता है। इन महामारियों में पुरुषों की आमदनी महिलाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। आज भी काफी क्षेत्रों में वेतन को लेकर लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। इस विषय पर मनगढ़ंत

तरीके से जटिल स्थिति उत्पन्न की जाती है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल मिलाकर अपने पुरुषों के समकक्षों की तुलना में महिलाओं की आमदनी 11 प्रतिशत कम होती है। आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं को केवल 3000-4500 रुपये महीने वेतन के रूप में मिलते हैं, जो न्यूनतम वेतन से कम है। इसके अलावा उनको पेंशन या मातृत्व अवकाश जैसे कोई अन्य लाभ भी नहीं मिलता है। भले ही इन महिलाओं की नौकरियां क्यों न समाप्त हो जाय, फिर भी महामारी के कारण परिवार की आय में हो रही कमी इन्हें आर्थिक संकट का समान साझेदार बना देगी।

इन सब के बावजूद परंपरागत रूप से घर पर रहने वाली महिलाओं को भी लॉकडाउन के कारण भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय व्यापक देखभाल करने का दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि परिवार में सेवा देने वाली सहायिका, कुक एवं बच्चों की देखभाल करने वाली आया संक्रमण के भय से नहीं आ पाती या घर वापस लौटने को विवश हो जाती है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा 2015 में सर्वेक्षण कराया गया था, इस रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि अधिकांश देशों में अपनी समकक्षों की तुलना में भारतीय महिलाओं का “बिना वेतन वाला काम” औसतन लगभग छह घंटे से अधिक होता है। पुरुषों का ऐसा काम प्रतिदिन केवल 52 मिनट का होता है।

मार्च, 2019 में जारी “माइंड द गैप” शीर्षक वाली ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार किसी भी देश में महिलाएं बिना वेतन के देखभाल वाला घरेलू काम सबसे ज्यादा करती हैं। पितृसत्तात्मक मानकों के कारण कजाकिस्तान जैसे देशों को छोड़कर अन्य देशों में खाना पकाने, सफाई करने, बच्चों एवं बूढ़ों की देखभाल करने के अलावा पानी एवं जलावन के लिए लकड़ी लाने जैसे काम को केवल महिलाएं ही करती हैं।

भारतीय मानव विकास सर्वेक्षण द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों में यह स्पष्ट दिखता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं पर काम का बोझ ज्यादा होता है। सर्वेक्षण के अनुसार भारत के गांवों में महिलाएं औसतन प्रति सप्ताह 240 मिनट जलावन एकत्र करने तथा प्रति दिन 66 मिनट पानी भरने में खर्च करती हैं, जबकि परिवार में पुरुष इन्हीं कामों पर प्रति सप्ताह 136 मिनट तथा प्रति दिन 29 मिनट खर्च करते हैं।

इन क्षेत्रों में घरेलू हिंसा का मामला भी अत्यधिक गंभीर है। संकट के समय में घरेलू हिंसा की घटनाओं

में भारी बढ़ोत्तरी होती है, इस महामारी में लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई। इसलिए पुरुष को भी लंबे समय तक घर पर रहना होता है। इससे भी बुरी बात यह है कि लॉकडाउन की स्थिति में घरेलू हिंसा का सामना कर रही महिलाएं सहायता मांगने की स्थिति में नहीं होती हैं, क्योंकि हिंसा करने वाले हमेशा उसके आसपास रहते हैं, और पीड़िता की सहायता करने वालों तक पहुंचना आसान नहीं होता है।

अमेरिका, ब्रिटेन एवं चीन में कोरोना महामारी के समय घरेलू हिंसा में भारी बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार लॉकडाउन लागू होने के बाद घरेलू हिंसा के मामले दो गुने हो गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा के अनुसार 24 मार्च से 1 अप्रैल के बीच महिला-विरोधी अपराध की कुल 257 शिकायतें आई हैं, जिनमें से 69 शिकायतों का संबंध घरेलू हिंसा से था। संयुक्त राष्ट्रसंघ महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सरकारों को सुझाव दिया था कि कोविड-19 के समय महिला विरोधी नियम एवं घरेलू हिंसा संबंधी शिकायतों को महत्वपूर्ण स्थान दें।

प्रशासन एवं सामाजिक संगठनों को महामारी के समय लिंग आधारित परिणामों के लिए सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसा न हो कि इस वैश्विक महामारी के समय क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां नष्ट हो जाये। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक एवं जेंडर व युवा मामलों की वरिष्ठ सलाहकार डाया समीनरिश ने कहा है कि इस मुद्दे को विश्व स्वास्थ्य संगठन के जेंडर एवं कोविड-19 पर किए जाने वाले भावी अध्ययनों में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। यह देखना होगा कि महिलाएं कोरोना जैसी महामारी से किस तरह से मुक्त हो पाती हैं।

अगर हम सब मिलकर इन महिलाओं का साथ दें, इन्हें हर मुश्किल से लड़ने में हिम्मत दें, इनसे इनके अधिकार नहीं छीने, इन्हें और इनके काम को भी उतनी ही इज्जत दें, जितनी हम पुरुष वर्ग के काम को देते हैं, तो हो सकता है कि इनके लिए यह मुश्किल सफर थोड़ा आसान हो जाय। इसकी शुरुआत आप घर से ही करें और आज से ही हर अथक प्रयास करें, जिससे कि हमारे देश को आने वाली चुनौतियों से बचाया जा सके।

□□

सम्पर्क: आरजेड-2/4, गली नम्बर-3, डाबरी पालम रोड, नयी दिल्ली-110045

ईमेल: prashant.pratyush@gmail.com

महात्मा गाँधी नरेगा और महिला सशक्तिकरण



महात्मा गाँधी नरेगा में काम की बेहतर परिस्थिति, समान वेतन और काम पाने के कानूनी अधिकार से महिला श्रमिकों को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। जिससे उनकी कार्य क्षमता में सकारात्मक वृद्धि हुई है तथा पारिवारिक निर्णयन में भी हिस्सेदारी बढ़ी है।

|| अरविंद कुमार राजपूत

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार ने आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय एवं राजनीतिक उत्तरदायित्व के लिए “लोकतांत्रिक, समाजवादी, आर्थिक नियोजन प्रधान” जैसी व्यवस्था को अपनाया, जिसके माध्यम से देश के निवासियों को तथा विशेष रूप से आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े एवं वंचित वर्ग के साथ-साथ महिलाओं के उत्थान एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए भारत सरकार ने अनेक कल्याणकारी एवं रोजगार परक योजनाओं के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, को संसद द्वारा 5 सितम्बर, 2005 को पारित किया गया। 2 फरवरी, 2006 से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित इस अधिनियम में संशोधन कर 2 अक्टूबर 2009 से इस योजना का नाम “महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005” (महात्मा गाँधी नरेगा) कर दिया गया। यह योजना यूपीए सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक थी, जो सीधे गरीबों के जीवन से जुड़ी है, जो समावेशी विकास को बढ़ावा देता है। इस अधिनियम का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका की सुरक्षा को पुष्ट करने के लिए एक वित्त वर्ष में ऐसे प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिन की गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराना था।

महात्मा गाँधी नरेगा योजना सभी पूर्ववर्ती रोजगार परक एवं आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं से कई रूपों में भिन्न है। महात्मा गाँधी नरेगा योजना की पूर्ववर्ती योजनाएं आबंटन आधारित थी, जबकि यह अधिकार आधारित योजना है। इसमें रोजगार प्रदान करने के सांविधिक समयबद्ध प्रावधान हैं, यह मांग आधारित

दृष्टिकोण एवं कार्य आधारित होने के बावजूद रोजगार सृजन पर बल देता है, इस योजना में जवाबदेही और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान और रोजगार न मिलने पर प्रतिपूर्ति (बेरोजगारी भत्ता) जैसी विशेषताओं के कारण यह योजना पूर्ववर्ती योजनाओं से भिन्न है। इस योजना के माध्यम से मजदूरी, रोजगार कार्यक्रमों की हमारी पूर्व योजनाओं के दृष्टिकोण एवं रणनीति, दोनों में ही उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं।

इस योजना के तहत समाज के हाशिए पर स्थित समुदायों के विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति (अजा) और अनुसूचित जनजाति (अजजा) के अधिकार—आधारित कानून के द्वारा सशक्तिकरण करना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के पैरा पांच में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदक को स्कीम के उपबंधों के अनुसार आवेदन की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर या उस तारीख से जब से वह अग्रिम आवेदन की दशा में कार्य चाहता है, इनमें से जो भी नियमावली हो, उस व्यक्ति को अकुशल शारीरिक कार्य दिया जायेगा। परन्तु इसमें महिलाओं को प्रधानता दी जाएगी, जिससे कम से कम एक तिहाई फायदा प्राप्त करने वालों में महिलाएं होंगी, जो इस अधिनियम के अधीन कार्य के लिए पंजीकृत हैं, और जिन्होंने अनुरोध किया है।

महात्मा गाँधी नरेगा योजना ने महिला सशक्तिकरण के महत्त्व को पहचान कर, इसे अपने परिकल्पना में शामिल किया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न प्रावधानों और दिशा—निर्देशों का लक्ष्य है। महिलाओं को समान काम के साथ—साथ उन तक सरल तरीके से इस योजना को पहुंचाना भी है। इस योजना में अनुकूल कार्य परिस्थितियाँ, समान वेतन और निर्णय—निर्माण में महिलाओं के प्रतिनिधित्व—को शामिल किया गया है। वित्तीय वर्ष 2006—07 से 2011—12 तक महिलाओं की मजदूरी पर लगभग 53 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें कुल सृजित श्रम दिवसों का लगभग 47 प्रतिशत महिलाओं द्वारा किया गया है। इस योजना में महिलाओं की भागीदारी अन्य सभी योजनाओं की तुलना में अधिक सक्रिय है।

महात्मा गाँधी नरेगा योजना महिलाओं के लिए काम का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। इस योजना में राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की भागीदारी 33 प्रतिशत की सांविधिक न्यूनतम आवश्यकता को पीछे छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में महिलाओं की भागीदारी वित्तीय—वर्ष 2009—10 में 44 प्रतिशत रही,

वहीं 2010—11 में भी 44 प्रतिशत और 2011—12 में एक प्रतिशत कम होकर 43 प्रतिशत थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर औसत 47 प्रतिशत महिला श्रमिकों की भागीदारी से कम थी। अन्य राज्यों की तुलना में केरल में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक 93 प्रतिशत थी, जबकि उत्तर प्रदेश में 18 प्रतिशत और जम्मू—कश्मीर में 17 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी थी।

यह देखने में आया कि इस योजना के अंतर्गत काम करने वाली महिलाओं की संख्या सभी राज्यों के बाजारों में अनियमित रूप से मजदूरी कर रही श्रमिक महिलाओं की हिस्सेदारी से अधिक थी। यह तथ्य इस परिकल्पना का समर्थन करता है कि इस योजना ने महिलाओं के लिए बेहतर और अनुकूल कार्य परिस्थितियों का निर्माण किया।

इस योजना के परिणामों को समझने के लिए क्षेत्रीय अध्ययन किया गया। इसके लिए यादृच्छिक (क्रमरहित) चयन प्रक्रिया को अपनाया गया। इसमें कुल चयनित दो सौ पचास लाभार्थियों में से 54 महिला लाभार्थियों का चयन किया गया, जो चयनित आंकड़े का 21.6 प्रतिशत था। इसमें कुल चयनित 54 महिला लाभार्थियों में से 33 महिला विधवा थी, जो कुल महिला श्रमिकों का 61.2 प्रतिशत है। इन विधवा महिला श्रमिकों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है। इनकी आजीविका का प्रमुख स्रोत शारीरिक श्रम से प्राप्त आय ही है। ग्रामीण क्षेत्र में महिला श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर सीमित हैं। महात्मा गाँधी नरेगा के क्रियान्वयन के बाद इन महिलाओं को उचित कार्य परिस्थितियों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है जिससे इनकी आय बढ़ी है तथा वर्ष में रोजगार के दिनों की भी वृद्धि हुई है। रीवा जिला, गंगेव विकास खण्ड के गोंदरी ग्राम पंचायत की विधवा महिला धुबिया का कहना है कि, महात्मा गाँधी नरेगा योजना आने के बाद दूसरे गाँवों में काम करने नहीं जाना पड़ता है। इस योजना में काम करने पर पैसा भी अधिक मिलता है तथा कम घण्टे काम भी करना पड़ता है जबकि खेतों में सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है, उनके बावजूद पैसा कम मिलता है।

रीवा जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रमिकों की स्थिति बदतर है। इन महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का अध्ययन हमने क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान किया और पाया कि ये महिला श्रमिक वर्तमान पूंजीवाद के आधुनिक युग में भी आदिमकालीन जीवन

जीने को मजबूर हैं, क्योंकि इनके पास धन-सम्पत्ति का अभाव है। गरीबी की चरम सीमा पर जीवन व्यतीत करना इनकी मजबूरी है। दिनभर कठोर मेहनत करने के बाद इनका चूल्हा जलता है। छोटी-छोटी बीमारियां दवाईयों के अभाव में विकराल रूप धारण कर लेती है। ये समस्याएं उन परिवारों में और भी गंभीर हैं, जिनकी मुखिया विधवा महिलाएं हैं। ये समस्याएं सीमांत वर्ग की महिला श्रमिकों में अधिक हैं। यहां अधिकतर परिवार जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं, वह कुपोषण के शिकार हैं। इन परिवारों की महिलाएं जर्जर अवस्था में भी काम करने को मजबूर हैं। इन महिलाओं को महात्मा गाँधी नरेगा के द्वारा अतिरिक्त रोजगार अवसर प्रदान किया गया है। इस योजना में समान मजदूरी तथा कार्यस्थल पर बेहतरीन और अनुकूल कार्य परिस्थितियों के कारण महिला श्रमिकों की भागीदारी अधिक रही है। महात्मा गाँधी नरेगा योजना में कार्यरत महिला श्रमिकों की रीवा जिले के विशेष संदर्भ में रोजगार स्थिति का विवरण निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया है।

तालिका - 1

तीन वित्तीय वर्षों में चयनित महिला लाभार्थियों की रोजगार स्थिति (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)


वित्तीय वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12
कुल जीव कांड धारक	250	250	250
कुल महिला लाभार्थी	54 (21.6%)	54 (21.6%)	54 (21.6%)
चयनित परिवारों को प्राप्त रोजगार	87 (34.8%)	171 (68.4%)	186 (74.4%)
कुल सृजित मानव दिवसों में महिला श्रमिकों की भागीदारी	706.9 (31.5%)	2003.5 (30.8%)	2269.5 (24.5%)
अनुसूचित जाति की महिला श्रमिक	61.0%	41.0%	35.0%
अनुसूचित जनजाति की महिला श्रमिक	39.0%	32.0%	30.0%
अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला श्रमिक	—	23.0%	25.0%
सामान्य वर्ग की महिला श्रमिक	—	4.0%	10.0%

स्रोत : क्षेत्र सर्वेक्षण 2011-12

महात्मा गाँधी नरेगा में कार्यरत महिला श्रमिकों की रोजगार स्थिति तीन वित्तीय वर्षों 2009-10, 2010-11 और 2011-12 का विवरण उपर्युक्त तालिका में दिया गया है। रीवा जिले में चयनित लाभार्थियों द्वारा कुल सृजित मानव दिवस रोजगार में महिला श्रमिकों की भागीदारी वित्तीय वर्ष 2009-10 में 31.5 प्रतिशत, 2010-11 में 30.8 प्रतिशत तथा 2011-12 में 24.5 प्रतिशत है, जबकि कुल चयनित लाभार्थियों में महिला लाभार्थी केवल 21.6 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व है। अतः

स्पष्ट है कि महिला श्रमिक जो कुल श्रमिकों का 21.6 प्रतिशत हैं। इनकी सृजित मानव दिवस रोजगार में भागीदारी अपने प्रतिनिधित्व से अधिक इसका कारण बेहतरीन कार्य परिस्थितियां, समान मजदूरी तथा घर के पास काम की प्राप्ति है। इस प्रकार इन महिला श्रमिकों द्वारा प्रति परिवार रोजगार में अधिक भागीदारी निश्चित तौर पर इनकी आर्थिक भागीदारी का प्रतिनिधित्व करती है। जिसके परिणामस्वरूप पारिवारिक उत्तरदायित्व और निर्णयन भागीदारी में इनकी महती भूमिका प्रदर्शित होती है।

जाति-वर्ग वार महिला लाभार्थियों का रोजगार विवरण



आरेख-1

महात्मा गाँधी नरेगा में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान मजदूरी का प्रावधान किया गया है। लेकिन कृषि क्षेत्र में महिला और पुरुष श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक नहीं मिलता है। इस मजदूरी अंतर को तालिका 2 में प्रदर्शित किया है।

तालिका - 2

कृषि क्षेत्र में पुरुष और महिला श्रमिकों की मजदूरी दर में अंतर की स्थिति (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)

वित्तीय वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12
	(रुपयों में)	(रुपयों में)	(रुपयों में)
पुरुष	80.0	100.0	110.0
महिला	60.0	80.0	100.0
अंतर कुल	20.0	20.0	10.0
प्रतिशत	33.3 प्रतिशत	25 प्रतिशत	10 प्रतिशत

स्रोत : क्षेत्र सर्वेक्षण 2011-12

रीवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य हेतु पुरुष-महिला श्रमिकों के पारिश्रमिक में अंतर उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट प्रदर्शित होती है कि वित्तीय वर्ष 2009-10, वित्तीय वर्ष 2010-11 तथा वित्तीय वर्ष 2011-12 में क्रमशः 33.3 प्रतिशत, 25 प्रतिशत तथा

10 प्रतिशत का पारिश्रमिक अंतर है। यह अंतर लगातार कम हो रहा है। इसका तात्पर्य है कि पुरुष श्रमिकों की तुलना में महिला श्रमिकों की मजदूरी दर में वृद्धि हो रही है। महिला श्रमिकों की कृषि क्षेत्र में सापेक्षिक मजदूरी वृद्धि का कारण महात्मा गाँधी नरेगा में पुरुष और महिला श्रमिकों को मिलने वाली समान मजदूरी दर है।

महात्मा गाँधी नरेगा में काम की बेहतर परिस्थिति, समान वेतन और काम पाने का कानूनी अधिकार से महिला श्रमिकों को बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हुआ है। जिससे उनकी कार्य क्षमता में सकारात्मक वृद्धि हुई है तथा पारिवारिक निर्णयन में भी हिस्सेदारी बढ़ी है। ग्रामीण समाज में उन्हें सम्मान पूर्वक काम पाने का अधिकार मिला है। विभिन्न दायरों (सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक) में महिला समीकरण में गुणात्मक और संख्यात्मक सुधार देखने को मिला है, जिसमें स्वबोध में सकारात्मक परिवर्तन भी शामिल है। जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं का सशक्तीकरण हुआ है और इसने स्थायी सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न किया है।

Refreneces

- Adhikari, A., and Bhatia, K. (2010), 'NREGA Wage Payments: Can we Bank on Banks?', Economic and Political Weekly, 2 January.
- Aiyar, Yamini and Samji, Salimah (2006), 'Improving the Effectiveness of National Rural Employment Guarantee Act', Economic and Political Weekly, 28 January.
- Center for Budget and Governance Accountability (2006), 'Draft Report on implementation of NREGA in Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand and Madhya Pradesh', Report, New Delhi: Center for Budget and Governance accountability, May-June.
- Bagchee, Aruna (2005), 'Political and Administrative Realities of the EGS', Economic and Political Weekly, 15 October.
- Bhatia, B., and Drèze, J. (2006), "Employment Guarantee in Jharkand : Ground Realities", Economic and Political Weekly, July, 22.
- Chakraborty, P, et al. (2007), 'Rural Poverty in Madhya Pradesh: Looking Beyond Conventional Measures', Economic and Political Weekly, February, 3.
- Chari, Anurekha (2006), 'Guaranteed Employment and Gender Construction : Women's Mobilisation in Maharashtra',

- Economic and Political Weekly, 16 December.
- Das, Upasak (2009), 'Three and a Half Years of NREGA; A journey Through Some Parts of Jalpaiguri District', mimeo, Indira Gandhi Institute for Development Research, Mumbai.
- Dev, S. Mahendra (1996), 'Experience of India's (Maharashtra), Employment Guarantee Scheme: Lessons for Development Policy', Development Policy Review, 14 (3).
- Dev, S. Mahendra (2000), 'Economic Liberalisation and Employment in South Asia', Economic and Political Weekly, 14 January.
- Dey, N., Drèze, J., and Khera, R. (2006), 'Employment Guarantee Act: A Primer (New Delhi: National Book Trust).
- Drèze, Jean (2005), 'Promise and Demise', Yojana, April, 1.
- Drèze, Jean, and Khera, Reetika (2011), 'Battel for Employment Guarantee', Oxford University Press, New Delhi.
- Ganesh-Kumar, A, Mishra, Sishra, Panda, Manoj (2004), 'Employment Guarantee for Rural India', Economic and Political Weekly, December, 18.
- Govt. of India, (1992), Towards Employment Guarantee, Final Report of Dept. of Rural Development, Ministry of Agriculture, Govt. of India.
- Khera, R., and Nayak, N. (2009), 'Women Workers and the Perception of the National Rural Employment Guarantee Act in India', Economic and Political Weekly, October, 24.
- Khera, Reetika (2008), 'The Black Hole of NREGA Records in Orissa', Yojana, August.
- पी.दत्ता, आर मुरागई, एम. रावालियन और डब्ल्यू. वी.डोमिनिक, 'इज इण्डियाज इम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम गारंटी इम्प्लॉयमेंट?' पोलिसी रिसर्च पेपर, वाशिंगटन, डी.सी.: वर्ल्ड बैंक, 2012,
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार : महात्मा गाँधी नरेगा समीक्षा वर्ष 2006-12
- वित्त मंत्रालय, आर्थिक समीक्षा, 2008-09 से 2011-12, भारत सरकार।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, वार्षिक रिपोर्ट, 2009-10 से 2011-12। □□


लेखक : अरिस्टॉट प्रोफेसर हैं।

सम्पर्क : श्री ब्रह्मसेन पी.जी. कॉलेज, मयूरानीपुर

झांसी-284204, उत्तर प्रदेश

ईमेल : adda.94529031@gmail.com

बढ़ती कोरोना महामारी में राजनीति की तेज होती धार!



68 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन के बाद भी कोरोना को हराना तो भूल जाइये, भारत सरकार इस वायरस को फैलने से नहीं रोक पाई। जब सरकार कोरोना के खिलाफ युद्ध हारने लगी, तो कोरोना महामारी का ही राजनीतिकरण कर दिया।

|| सुनील कुमार

प्रधानमंत्री ने 'जनता कर्फ्यू' को कोरोना महामारी से बचने का शुरुआती लड़ाई बताया था। 22 मार्च, 2020 को पूरे देश में 365 कोरोना संक्रमित मरीज थे, उनमें से 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। प्रधानमंत्री ने लम्बी लड़ाई की शुरुआत करते हुए 23 मार्च को रात आठ बजे पूरे देश में रात 12 बजे से लॉकडाउन की घोषणा कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि जो लोग जहां थे वहीं फंस गए, जैसे अपने रिश्तेदारी में, इलाज के लिए गए लोग अस्पतालों में, ऑफिस के काम से गए या कोई अन्य काम से बाहर गये हुए, जहां के तहां फंस गये।

लॉकडाउन से उत्पन्न होते कुछ सवाल

1. क्या देश की हालत ऐसी बन गई थी कि चार घंटे का समय देकर पूरे देश को लॉकडाउन करना पड़ा?
2. अगर ऐसी स्थिति थी, तो 20 मार्च को ही क्यों नहीं घोषणा कर दी गई कि 24 मार्च से देश में लॉकडाउन कर दिया जायेगा? इससे देश में लाखों-करोड़ों लोग फंसने से बच सकते थे।
3. लॉकडाउन का निर्णय केवल प्रधानमंत्री का था या अन्य राज्यों से भी इस विषय में विचार विमर्श किया गया था?
4. तीन बार लॉकडाउन करने के बाद यह निर्णय राज्यों पर क्यों छोड़ा दिया गया?

पहले लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बोधित करते हुए कहा था कि—“महाभारत के युद्ध को जीतने में 18 दिन का समय लगा था और भारत को कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध जीतने में 21 दिन लगेंगे।” 24 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 536 से बढ़कर 11487 हो गई। याने 21 दिनों में 10,951 मरीजों की संख्या बढ़ गई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश को एकजुट करने के लिए एवं उम्मीद को बनाए रखने के लिए दीये और मोमबत्तियां भी जलवा दिए। दूसरे लॉकडाउन के अंतिम दिन 14 अप्रैल, 2020 को 'जान है तो जहान है' का नारा देते हुए लॉकडाउन को तीन मई तक के लिए बढ़ा दिया। 3 मई तक देश में 42,505 कोरोना संक्रमित मरीज हो चुके थे, यानी दूसरे लॉकडाउन में 31,018 मरीज बढ़ गये। तीसरे लॉकडाउन की घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वयं नहीं किया, इसे एक सर्कुलर के जरिए लोगों के बीच लाया गया और इस लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। 17 मई तक भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया और कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 95,698 हो गई। 17 मई से पहले ही कोरोना महामारी को छोड़कर 'आत्मनिर्भर' भारत बनाने की चर्चा होने लगी थी, जिसका जिक्र 12 मई को प्रधानमंत्री कर चुके हैं।


68 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन के बाद भी कोरोना को हराना तो भूल जाइये, भारत सरकार इस वायरस को फैलने से नहीं रोक पाई, जब सरकार कोरोना के खिलाफ युद्ध हारने लगी, तो कोरोना महामारी का ही राजनीतिकरण कर दिया गया। 15 मई को भारत में 85,784 मरीज हो गये थे, जबकि चीन में 82,919 मरीजों की संख्या थी। भारत के रेलमंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा कि "रेलवे रोजाना 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाकर मजदूरों को उनके घर पहुंचाने को तैयार है। मुझे दुःख है कि कुछ राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ व झारखंड की सरकारों द्वारा इन ट्रेनों की अनुमति नहीं दी जा रही है। इससे श्रमिकों को घर से दूर कष्ट सहना पड़ रहा है।" गोयल के ट्वीट के बाद आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस वार्ता कर ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए इस मुद्दे को साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश की और उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ के पुल बांधे गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 30 ट्रेनों की अनुमति मांगी थी, लेकिन अभी तक हमें 14 ट्रेनें ही मिली हैं, इसी तरह की प्रतिक्रिया अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आई। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने ही सबसे पहले श्रमिक ट्रेन की मांग की थी। 1 मई को सुबह 5 बजे लिंगमपल्ली (हैदराबाद) से हटिया के लिए श्रमिक ट्रेन चलाई गई। इसके बाद खबरें आने लगी कि फंसे हुए मजदूरों से किराया वसूला जा रहा है। विपक्षी पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जब कहा कि फंसे हुए मजदूरों का किराया उनकी पार्टी देगी, तो राजनीतिक माहौल गरमा गया। इस बयान के बाद केन्द्र सरकार कठघरे में घिरती नजर आई, तो केन्द्र सरकार ने बयान जारी करके बताया कि हम 85 प्रतिशत किराये में छूट पहले से ही दे रहे हैं इसके बाद बचे किराये पर राज्य सरकार छूट दे। जिस उत्तर प्रदेश सरकार की पीठ थपथपाई जा रही थी और रेल मंत्री मजदूरों को घर तक पहुंचाने का सपना दिखा रहे थे, उसकी तैयारी का पता इसी से चलता है कि 19 मई की रात को सिकन्दराबाद रेलवे स्टेशन से चली हुई ट्रेन 51 घंटे से अधिक समय में देवरिया पहुंच रही है। यात्रियों को कानपुर में दिया गया खाना भी खराब था। 21 मई को मुम्बई से उत्तर प्रदेश आने वाली दो ट्रेनों को रद्द कर दिया गया।

ट्रेन के बाद बस संचालन को लेकर राजनीति चलती रही। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी 1000 बसों के

द्वारा राजस्थान से मजदूरों को यूपी, बिहार भेजना चाहती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने बसों के संचालन को लेकर सवाल उठाये, जिसके बाद इन बसों को उत्तर प्रदेश में उनकी प्रवेश की अनुमति नहीं मिल पाई और मजदूर राजनीति के शिकार होकर सड़क पर पड़े रहे।

गुजरात राज्य में सबसे अधिक बार मजदूरों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसको पुलिसिया दमन से दबाया गया, कुछ मजदूरों को पकड़कर पुलिस ले गई। 12 मई को भावनगर के निरमा लिमिटेड कम्पनी के मजदूरों ने उत्तर प्रदेश जाने वाली श्रमिक ट्रेन के रद्द होने पर अपना गुस्सा कम्पनी पर निकाला, तो उन पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। सूरत में चार मई की रात मजदूरों ने घर जाने के लिए प्रदर्शन किया। इससे पहले भी कई बार सूरत में मजदूर प्रदर्शन कर चुके थे, जिसको पुलिस ने लाठीचार्ज और गिरफ्तार करके उनके आक्रोश को दबाया। इसी तरह से अहमदाबाद, पुणे, राजस्थान, मुम्बई और दिल्ली से भी प्रदर्शनों की खबरें आ रही हैं। जिस तरह से दिन बीतते जा रहे हैं, मजदूरों का आक्रोश और चिन्ताएं बढ़ती जा रही हैं। हर रोज मजदूरों के मरने की खबरें आ रही हैं। लॉकडाउन के बाद 700 से अधिक मजदूरों की मृत्यु हो चुकी है। कई दर्दनाक तस्वीरें मीडिया में आ रही हैं, गर्भवती महिलाएं सड़क पर बच्चे को जन्म दे रही हैं, कोई मां अपने बच्चों को कंधे और गोद में उठाये हुए पैदल चले जा रही हैं, तो कोई मां अपने बच्चे को सुटकेस पर ही सुला कर ले जा रही है। इस तरह की दर्दनाक तस्वीरें नहीं आए, इसके लिए सरकार मजदूरों को सड़क पर आने से ही रोक देना चाहती है। ये ऐसी तस्वीरें हैं, जो विश्व गुरु का सपना देखने वाले भारत की दर्दनाक कहानी को बयां करती हैं। इस तरह की तस्वीरें दुनिया के किसी और देश से नहीं आ रही हैं, जबकि विश्व के 215 देशों में कोरोना वायरस का संक्रमण है।

भारत में 18 मई तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक लाख को पार कर चुका है। कई शोध बताते हैं कि भारत में अभी कोरोना संक्रमण की चरम स्थिति आने वाली है। इसी तरह की आशंका अमरीकी वायरोलॉजिस्ट (वायरस विज्ञानी) पीटर होटेज ने कहा है कि भारत में गर्म मौसम के कारण वायरस का प्रसार कम हो सकता है, लेकिन जुलाई-अगस्त में हालात बेकाबू हो सकती है। पीटर होटेज का वक्तव्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अमेरिका में कोरोना वायरस



के संक्रमण को रोकने के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। भारत सरकार इन सारी चेतावनियों को अनसुना करते हुए राजनीतिक फायदा उठाने का अवसर देख रही है। कोरोना दुनिया के लिए एक महामारी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदीजी इसे एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। प्रधानमंत्री अपनी ही कही बातें 'जान है तो जहान है' से पीछे हटते हुए, अब आर्थिक पहलुओं पर जोर दे रहे हैं।

चौथे लॉकडाउन में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के ऊपर निर्णय लेने का जिम्मा छोड़ दिया है। लॉकडाउन का स्वतः निर्णय लेने वाले और कोरोना वॉरियर्स का खिताब लेने की चाहत रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी अब राज्यों की स्वायत्तता की बात कर रहे हैं, जबकि इस समय मरीजों की संख्या बढ़ रही है और मजदूर जगह-जगह विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। लॉकडाउन से पहले 25 जिले संक्रमित थे और आज इनकी संख्या बढ़कर 500 से अधिक हो गई है, अब यह देशव्यापी महामारी का रूप ले चुका है। देशव्यापी समस्या होने पर केन्द्र की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन केन्द्र अभी अपना कदम पीछे खींचते हुए, इसकी जिम्मेदारी राज्यों को सौंप रही है। क्या केन्द्र सरकार ऐसा करके

भविष्य में अपनी नाकामियों को छिपाने और दूसरे पर दोषारोपण करने का मौका ढूँढ रही हैं। केन्द्र सरकार अगर मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का निर्णय लेती है, तो उसमें राज्य का निर्णय बाधा नहीं बनती है, जैसा कुछ दिन पहले बसों को लेकर उत्तर प्रदेश में हुआ। अगर केन्द्र सरकार कोरोना को लेकर राजनीति करती रही तो उसकी हालत अमेरिका से भी बदतर हो सकती है। अमेरिका चीन को दोषारोपण करता रहा है, लेकिन आज अमेरिका में 16 लाख संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच गई है, जिसमें 95 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अगर केन्द्र सरकार इसी तरह राजनीति करती रही और दोष विपक्ष को देती रही, तो आज हम चीन से आगे बढ़े हैं, आने वाले समय में यह हो सकता है भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ कर कोरोना महामारी का 'विश्व गुरु' बन जाये।

□□

लेखक : सेन्टर फॉर पॉलिसी रिसर्च, सीपीआर से जुड़े हैं।

सम्पर्क : 24/6, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016

ईमेल : sk86515@gmail.com

कोरोना महामारी के दौर में भारत का वंचित समुदाय

|| जावेद अनीस

कोरोना महामारी स्वास्थ्य समस्या के साथ-साथ आर्थिक आपदा भी साबित हुई है। इसकी वजह से एक बड़ी आबादी के सामने जीवन यापन का संकट पैदा हो गया है। समाज के सबसे निर्बल तबकों पर इसका बहुत घातक असर देखने को मिल रहा है। आज करोड़ों की संख्या में शहरों से मजदूरों का पलायन हुआ है। इसके अलावा किसान, बच्चे, महिलाएं, विकलांग उपेक्षा और अपमान के साथ भूख से जूझ रहे हैं। आज भारत अभूतपूर्व स्थिति से गुजर रहा है। यह ऐसा संकट है, जिसका प्रभाव कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद भी लम्बे समय तक बने रहने वाला है। बिना किसी पूर्व तैयारी के किया गया लॉकडाउन एक जोखिम भरा कदम साबित हुआ है। इस समय भारत की चुनौती दोहरी है, हम स्वास्थ्य की समस्या के साथ-साथ भुखमरी, बेरोजगारी और पलायन की त्रासदी से जूझ रहे हैं। अन्य देशों के मुकाबले हमारी स्थिति बहुत जटिल है। यहां की विशाल आबादी, गैर-बराबरी और बंटा हुआ समाज, सीमित संसाधन, और जर्जर स्वास्थ्य सुविधाएं इसे और चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। इन सबके बीच वर्तमान सरकार कोरोना रिलीफ के नाम पर अपने जीडीपी का करीब एक प्रतिशत ही खर्च कर रही है, जोकि अपर्याप्त से भी कम है। इस मामले में हम बंगलादेश से भी पीछे हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चेतावनी दी गयी है कि कोरोना संक्रमण से पहले दुनियाभर में करीब 13.5 करोड़ लोग भुखमरी का सामना कर रहे थे, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 26.5 करोड़ हो जाने की संभावना है। भूख और कुपोषण के मामले में भारत की स्थिति तो पहले से ही बहुत खराब थी। इधर लॉकडाउन में तो हालात और खराब हुए हैं। घरों से बाहर नहीं निकलने वाले नियमों ने रोजगार पर पाबंदी लगा दी, जिस कारण से करोड़ों गरीब परिवार को दाने-दाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। देश की अधिकतर आबादी पहले से ही खाद्य सुरक्षा, कुपोषण और स्वास्थ्य की गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है, जिस कारण से रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर है और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं भी बदहाल

हैं। ऐसे स्थिति में अगर कोरोना महामारी का फैलाव ग्रामीण और कस्बों के स्तर पर होता है तो स्थिति बहुत ही भयावाह हो सकती है।

इस समय भारत के मजदूर किसान और मेहनतकश लोग अकल्पनीय पीड़ा और संकट के दौर से गुजर रहे हैं। उन्हें अपने ही देश में विस्थापित और शरणार्थी बना दिया गया है। उन्हें प्रवासी मजदूर कहा जा रहा है, जबकि सभी मजदूर गावों से शहरों की तरफ पलायन करके मजदूरी के लिए आए हुए थे, जिन्हें हमारी सरकारें उनके गावों और कस्बों में रोजगार देने में नाकाम रही हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में करीब 45 करोड़ से अधिक आबादी रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ पलायन करती थी, जो देश के कुल आबादी का 37 प्रतिशत है। पिछले एक दशक के दौरान इस आंकड़े में करोड़ों की वृद्धि हुई है। सबसे अधिक पलायन से प्रभावित राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश शामिल हैं। शहरों की तरफ पलायन पर गये मजदूरों में अधिकतर असंगठित क्षेत्रों में, दिहाड़ी मजदूर के रूप में और स्व-पोषित श्रमिकों के तौर पर काम करते हैं। इन्हें किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है, जिस कारण से ये सभी शहरों में बहुत ही खराब परिस्थितियों में रहने को मजबूर होते हैं। अब कोरोना संकट के बाद इस बड़ी आबादी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पिछले दिनों अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोगों को और गरीबी की तरफ धकेल देगा।

इसके प्रभाव को हम अपने देश में महसूस कर रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) द्वारा जारी किए गए अप्रैल महीने के आंकड़े के अनुसार बेरोजगारी दर में 14.8 फीसदी का इजाफा हुआ है। इस समय करीब 12 करोड़ से अधिक लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है, जिसमें अधिकतर दिहाड़ी मजदूर, स्व-पोषित श्रमिक और छोटे कारोबारी हैं। आज मजदूरों के इस विशाल आबादी के सामने वर्तमान और भविष्य

दोनों का संकट है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा किये गये एक अध्ययन में बताया गया कि 13 अप्रैल तक जिन मजदूरों से उनका संपर्क हो पाया उनमें 44 फीसदी ऐसे थे, जिन्हें तत्काल भोजन और पैसे की जरूरत थी।

इसी प्रकार से वर्कर्स एक्शन नेटवर्क (स्वान) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के बाद से शहरों में फंसे 89 फीसदी मजदूरों को उनके नियोक्ताओं द्वारा कोई राशि नहीं दी गयी है। अब तक सरकारी राहत भी उन तक नहीं पहुंच रही है। स्वान द्वारा सम्पर्क किए गए कुल मजदूरों में से 96 प्रतिशत मजदूरों ने यह बताया कि उन्हें सरकार की तरफ से राशन तक नहीं मिला है। शहरों में इस कदर उपेक्षा के बाद लाखों मजदूरों के पास बस यही विकल्प बचा कि वे सैकड़ों-हजारों किलोमीटर अपने-अपने गावों जाने का ही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है। इसलिए अधिकतर मजदूर पैदल ही घर की ओर निकल पड़े हैं, जोकि बहुत ही दर्दनाक और अमानवीय है। इस रिवर्स विस्थापन में पुरुष के साथ महिलाएँ और बच्चे भी शामिल थे। इसमें से कुछ लोग मौत के शिकार भी हुए हैं।

लेकिन इन मजदूरों की चुनौतियाँ यहीं पर समाप्त होती नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि अपने जिन गावों की तरफ वे वापस लौट रहे हैं, वहाँ की हालत पहले से ही बेहाल है। काम की तलाश में ही तो गावें उजड़े थे। अब गावों में इतनी ताकत नहीं बची है कि सभी मजदूरों का पेट पाल सके। गांव और कस्बों में जो काम होता है। वह यहां पहले से रह रहे लोगों के लिए ही नाकाफी था, जो पलायन पर गये लोगों द्वारा भेजे गये पैसों से पूरी होती थी। ऐसे में बड़ी संख्या में रिवर्स पलायन करके अपने गावों की तरफ वापस जा रहे लोगों का गुजारा कैसे होगा?

इस महामारी ने भारत सहित दुनिया भर के करोड़ों बच्चों को भी जोखिम में डाल दिया है। बच्चे इस महामारी के सबसे बड़े पीड़ितों में से एक हैं, खासकर गरीब और वंचित समुदायों के बच्चे इससे ज्यादा पीड़ित हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि कोरोना संक्रमण और इसके प्रभावों के चलते दुनिया भर में करीब 42 से 66 मिलियन बच्चे गरीबी की दिशा में धकेले जा सकते हैं। महामारी के कारण करोड़ों बच्चे कई अन्य तरह के संकटों से भी घिर गये हैं, गरीब बच्चों की औपचारिक शिक्षा व्यापक रूप से बाधित हुई है और उनके पोषण पर भी असर पड़ा है। अब वे पहले से ज्यादा असुरक्षित हो गए हैं।

महामारी के चलते स्कूल बन्द किए गए हैं, जिस कारण से करोड़ों बच्चों की न केवल शिक्षा बाधित हुई है, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव वंचित तबकों के बच्चों पर हुआ है। उनके शिक्षा के अधिकार को लेकर गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। अगर स्कूल ज्यादा लम्बे समय तक बंद

रहते हैं तो बड़ी संख्या में बच्चों को स्कूलों से बाहर धकेल दिया जाएगा। हालांकि सरकारों द्वारा ऑनलाइन कक्षा लेने की बात की जा रही है, लेकिन देश की बड़ी आबादी आज भी डिजिटल दुनिया के दायरे से बाहर और इस संकट के समय उनकी पहली प्राथमिकता शिक्षा नहीं बल्कि आजीविका बन गयी है। पहले से ही भारत में बच्चों के कुपोषण की स्थिति काफी खराब है। इस महामारी और लॉकडाउन ने इसे और पेचीदा बना दिया है। महामारी ने करोड़ों बच्चों के भोजन में पोषण की मात्रा को भी प्रभावित किया है। देश के अधिकतर बच्चे पोषणाहार के लिए स्कूल और आंगनबाड़ियों पर निर्भर हैं, जोकि महामारी के चलते बंद कर दिए गए हैं, इस कारण बच्चों के पोषणयुक्त भोजन पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।

इस महामारी में बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर गंभीर चिन्ताएं सामने आ रही हैं। लॉकडाउन के दौरान बाल दुर्व्यवहार के मामलों में वृद्धि हुई है और चाइल्ड पोर्नोग्राफी में अप्रत्याशित वृद्धि भी देखने को मिल रही है। कमजोर परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे बच्चों के लिए तस्करी का खतरा बढ़ गया है। हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे भी हैं, जो व्यवस्था और समाज के प्राथमिकताओं से बाहर हैं। खासकर सड़क पर रहने वाले बच्चों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गयी हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देशभर में 20 लाख से अधिक बच्चे सड़कों पर रहते हैं। महामारी के चलते इन बच्चों को पहले से कहीं अधिक संरक्षण की जरूरत है।

कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए सरकार को "इतिहास के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी प्रयास" की जरूरत है। मजदूरों, किसानों, बच्चों, कमजोर तबकों और महिलाओं को सम्मान के साथ विशेष संरक्षण दिए जाने की जरूरत है, जिससे वे दोहरी मार से उबर सकें। देश की बड़ी आबादी को तत्काल नगद राशि उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक दायरे को व्यापक करने की जरूरत है, जिसमें लोगों को अनाज के साथ-साथ दाल, तेल, नमक, मसाले, साबुन इत्यादि मिल सके। इसके साथ ही बच्चों के लिए बाल संरक्षण और जीवनदायिनी सेवाओं के दायरे को भी बढ़ाना होगा। इस दौरान बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनकी सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस सम्बन्ध में राज्यों और केंद्र सरकार को तत्काल दिशा-निर्देश जारी किए जाने की जरूरत है।

□□

सम्पर्क : सी-16, मिनाल इन्क्लेव, शुलमोहर कॉलोनी-3, ई-8, उरिया कॉलोनी, भोपाल-462039, मध्य प्रदेश
ईमेल : javed4media@gmail.com

मीडिया बनाम् महामारी : कौन किस पर भारी



स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 1,73,763 हो गई है। मंगलवार 29 मई, 2020 की सुबह यह संख्या 1,65,799 थी। अभी तक 4,971 लोगों की जान गई है। सभी राज्यों में सबसे अधिक महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस मिले हैं।

|| मोहम्मद जावेद अलिग

देश में कोरोना वायरस की दस्तक देने से लेकर आज तक गोदी मीडिया इस महामारी का मुकाबला सिर्फ मीडिया द्वारा मैनेज करने की कोशिश में जी जान से जुटा हुआ है। आखिर जुटे भी क्यों न, क्योंकि ये ही मौके होते हैं गोदी पत्रकारों के अपने टी.आर.पी. बढ़ाने के। भारत का गोदी मीडिया इस जानलेवा महामारी का मुकाबला मीडिया मैनेजमेंट से करते करते खुद तो महामारी की चपेट में आया ही है साथ ही आर्थिक संकट का भी दंश झेल रहा है। गोदी मीडिया के कई पत्रकारों की नौकरियाँ चली गई हैं, लेकिन फिर भी वह

महामारी से न लड़कर कभी पाकिस्तान के टिड्डी दल तो कभी पाकिस्तानी जासूस कबूतर से लड़ता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा वह चीन और नेपाल से भी नेशनल टीवी पर लड़ते हुए दिखाई देता है!

गोदी मीडिया को चीन द्वारा भारत में फैलाया गया कोरोना वायरस और पाकिस्तान द्वारा भेजा गया जासूस कबूतर और टिड्डी दल तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके ही देश के गुजरात में हुए नमस्ते ट्रम्प प्रोग्राम का घातक परिणाम उसे अभी भी नजर नहीं आ रहा है जहाँ के सिविल अस्पताल में हर घंटे एक मौत हो रही है। गुजरात के सिविल अस्पताल में कोरोना से अब तक 576 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पूरे गुजरात में लगभग 1000 के आसपास लोग कोरोना से मर चुके हैं।

गुजरात हाई कोर्ट इन दिनों बेबाकी से गुजरात के स्वास्थ्य ढाँचे की पोल खोलकर जनता के समक्ष रख रहा है। गुजरात हाई कोर्ट ने वहाँ के सिविल अस्पताल की खस्ताहाली के बारे में बताते हुए कहा कि यहाँ के सिविल अस्पताल की हालत किसी बदबूदार तहखाने सी हो चुकी है। इसी गुजरात की तुलना अगर देश की राजधानी दिल्ली से की जाए तो मामलों की संख्या लगभग बराबर है। मगर मौत के आंकड़ों में बहुत बड़ा अंतर है।

गुजरात में कोरोना से 15,934 लोग संक्रमित थे, जिसमें 980 लोगों की जान गई, जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 30 मई, 2020 की सुबह 17,386 पहुंच गई। इसमें से 9,142 सक्रिय मरीज थे और 7846 लोग ठीक हुए। मरने वालों की संख्या 400 के करीब पहुंच चुकी थी यानी कोरोना की वजह से गुजरात में मौत का औसत 6.10 फीसदी है, तो दिल्ली में यह सिर्फ 1.92 फीसदी है। डॉक्टरों का कहना है कि दोनों राज्यों में संक्रमण बराबर होने के बाद भी दिल्ली में मौत का कम होना यहां के लोगों में जागरूकता, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और ऑक्सीजन की उपलब्धता हो सकती है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, मई तक देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 1,73,763 हो गई है। शुक्रवार 29 मई, 2020 की सुबह यह संख्या 1,65,799 थी, जिसमें 4,971 लोगों की जान गई है। सभी राज्यों में सबसे अधिक महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस मिल रहे हैं।

महाराष्ट्र में अब तक 62,228 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। इसमें से 33,133 सक्रिय मामले हैं और 26,997 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं, 2,098 लोगों की जान गई है।

लचर स्वास्थ्य ढाँचे पर मूकदर्शक बने मीडिया, प्रधानमंत्री जी का 'राष्ट्र के नाम संदेश' को चीख चीखकर अपने चैनलों पर प्रस्तुत किया। ढेरों प्राइम टाइम भी किये यहाँ तक कि लॉकडाउन को मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता दिया। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संदेश में दिए गए भाषण में कहा था कि महाभारत का रण 18 दिनों में जीता और कोरोना से युद्ध 21 दिनों में जीत लेंगे। फिर नीति आयोग की ओर से एक ग्राफ जारी कर कहा गया कि 16 मई तक कोरोना के मामले शून्य हो जाएंगे, फिलहाल ऐसा नहीं हुआ।

सस्ती और जाली पीपीई किट, स्वास्थ्य उपकरणों की कमी, अंतरराज्यीय और अन्तरराष्ट्रीय लोगों को वापस लाना तथा प्रवासी मजदूरों के लगातार पलायन के चलते मामलों की संख्या दोगनी तेजी से बढ़ती रही। इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बिना प्लानिंग के दिये गए वक्तव्य पर न किसी गोदी मीडिया एंकर और न ही किसी गोदी पत्रकार ने ये पूछा कि किस आधार पर ये बोला गया था या ऐसे ही जो समझ में आया बस बोल दिया। किसी आधार पर ही तो ग्राफ तैयार किया गया होगा। और अगर वो रणनीति फेल हुई तो क्यों?

और वो महाभारत वाला उदाहरण ऐसे ही देने के लिए दे दिया? अच्छा लगा था बोलते वक्त इसलिए! शायद प्रधानमंत्री को भी पता है बोल दो जो बोलना है, बोलने में क्या जाता है अपने को कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता और पत्रकारों को जवाब देना है। शायद प्रधानमंत्री जी यह भी जानते हैं कि हमसे सवाल पूछेगा कौन?

दुनियाभर में हर देश का मुखिया अपनी मीडिया के सामने आकर पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। अपनी रणनीति बता रहे हैं, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ होना नहीं है। इसलिए जो आकाशवाणी करनी है कर दो। बस बोलते वक्त थोड़ा जमना चाहिए। शब्दों में थोड़ा वजन मालूम होना चाहिए। फिलहाल सरकार का गंदा चेहरा छुपाने के लिए गोदी मीडिया लगातार मेहनत कर रहा है। शायद गोदी पत्रकार इस बात को अच्छी तरह समझ नहीं पा रहे हैं कि महामारी का मुकाबला मीडिया मैनेजमेंट से नहीं किया जा सकता बल्कि महामारी मैनेजमेंट से ही किया जा सकता है।

□□

लेखक : शोधार्थी एवं स्वतंत्र पत्रकार हैं।

सम्पर्क : आर-122, बीसफुटा रोड, बली नं.-07, हरि मस्जिद के पास, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025

ईमेल : rasheedijavedamu@gmail.com

वो रोटियां रोने लगीं मंजर को देखकर

आई थीं जिनके साथ मुकद्दर को देखकर,
वो रोटियां रोने लगीं मंजर को देखकर।
ज़िन्दगी बनकर चली थी मुफलिसी के साथ,
किस्मत को कोसा अपनी हमसफर को देखकर।
पातों पर बिखरी लाशें कुछ चिथड़े से हो गये,
रोती रही वो रोटियां रहबर को देखकर।
मालूम था उन्हें बस रेलें वो बन्द हैं
बेखौफ सो गये वो इस डर को देखकर।
मौत भी मजबूर थी वो भी तो क्या करें,
रोई थी किस तरह वो मंजर को देखकर।
मुफलिस से सरहदें हैं मुफलिस वे देश हैं,
जागो ये शहनशाहों इस सफर को देखकर।
'आनंद' जो होना है वो टलता कभी नहीं,
चलता नहीं है, कोई सितमगर को देखकर।

परमानंद "आनंद"

सम्पर्क : तुलसी नगर वॉर्ड, खुसीपुरा सागर-470002,
मध्य प्रदेश।

कोविड-19 का मनोवैज्ञानिक असर



कोविड-19 का पूरा नाम को-कोरोना, वि-वायरस और डि-डिजीज है तथा 2019 का अर्थ उस वर्ष से है, जिस वर्ष नया कोरोना वायरस सामने आया था। इसे नॉवेल या नया इसलिए कहा गया है, क्योंकि इसकी पहचान पूर्व में कभी नहीं की गई थी। कोरोना एक ऐसी भयानक महामारी है, जिसने इस समय समस्त विश्व को मनोसामाजिक, स्वास्थ्य एवं आर्थिक रूप से गंभीर संकट में डाल दिया है।

||डॉ. कृष्णचन्द्र चौधरी

कोविड-19 ने सम्पूर्ण मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर दिया है। कोरोना वायरस ने हमें मानसिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, चिकित्सकीय और आर्थिक रूप से प्रभावित किया है। इस वायरस ने दुनिया भर में डर और चिंता का माहौल बना दिया है। यह त्रासदी एक आकस्मिक एवं व्यापक स्तर की चुनौती पैदा किए हुए है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए वर्तमान में व्यक्तिगत दूरी बनाकर वायरस फैलने की शृंखला को रोकने के लिए कहा जा रहा है, जिस कारण से वर्तमान समय में जीवन यापन के तरीके में भय, अनिश्चितता, चिंता, संदेहजनक वातावरण और निराशा एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। दबाव और चिंता की अवस्था में व्यक्ति में प्रायः सांवेगिक अनुक्रिया से मनोसामाजिक डर, आशंका और घबराहट उत्पन्न होता है, जो भावनाओं एवं विचारों के

आदान-प्रदान से न्यूनतम किया जा सकता है। इससे समायोजन, समन्वय एवं परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को ढालने की क्षमता बढ़ती है। इस विकट परिस्थिति से उत्पन्न मानसिक दबाव और चिंता से बाहर निकलने में मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप करने से मनोबल मिलता है। साकारात्मक सोच और रचनात्मक क्रियाकलापों को अपनाकर दबावपूर्ण स्थिति से बाहर निकला जा सकता है। केवल दृढ़ इच्छाशक्ति और स्वयं की भावना के साथ प्रयासरत रहने की आवश्यकता है। इस समय सभी लोगों को सकारात्मक मानसिक स्थिति रखने की जरूरत है, इससे वैश्विक महामारी पर विजय प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

कोविड-19 से हमारे राष्ट्र का जनजीवन अत्यधिक प्रभावित है। हाल के इतिहास में दुनिया सबसे घातक दुश्मन के खिलाफ लड़ रही है। इसलिए दुनिया के कई हिस्सों में लोग अपने घरों में कैद हैं। सम्पूर्ण विश्व में भी भय का साम्राज्य है और त्राहिमाम-त्राहिमाम मचा हुआ है। पूरी दुनिया में कोरोना बीमारी छूट की तरह प्रतीत हो रही है। हमारे देश में भी, कोरोना वायरस के रोगियों की संख्या आयेदिन बढ़ती जा रही है। कोरोना एक नवीन एवं रहस्यमय संक्रामक वायरस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नये कोरोना वायरस से हुई बीमारी का आधिकारिक नाम कोविड-2019 दिया है। कोविड-19 का पूरा नाम को-कोरोना, वि-वायरस और डि-डिजीज है तथा 2019 का अर्थ उस वर्ष से है, जिस वर्ष नया कोरोना वायरस सामने आया था। इसे नॉवेल या नया इसलिए कहा गया है, क्योंकि इसकी पहचान पूर्व में कभी नहीं की गई थी। कोरोना एक ऐसी भयानक महामारी है, जिसने इस समय समस्त विश्व

को मनोसामाजिक, स्वास्थ्य एवं आर्थिक रूप से गंभीर संकट में डाल दिया है।

व्यक्तिगत दूरी से सुरक्षा

व्यक्तिगत दूरी को समझने के लिए हमें इन दो शब्दों, 'व्यक्तिगत' और 'दूरी' को समझना जरूरी है। व्यक्तिगत का अर्थ है साहचर्य और मित्रता। दूरी का अर्थ है अलग रहना। सरल शब्दों में व्यक्तिगत दूरी स्वयं और दूसरों के बीच एक फासला बनाए रखना है, चाहे वह बीमारी से प्रभावित हों या नहीं। असल में अकेलापन एक मानसिक परिस्थिति है, जो मानवीय संवेदनाओं पर आधारित है। इसे तब भी महसूस किया जा सकता है, जब किसी वायरस के कारण सामाजिक जीवन सीमित नहीं होता। फिर भी, व्यक्तिगत दूरी यानी इंसान की उन मूलभूत सहज प्रकृतियों के विरुद्ध होता है, जिसके अंतर्गत कोई इंसान शारीरिक संपर्क चाहता है। इससे अकेलेपन के एहसास की उत्पत्ति होती है। व्यक्तिगत दूरी का पालन करने के दौरान हमें जिस नियम का सबसे अधिक पालन करना होता है, वह है सामूहिक तौर पर इकट्ठा होने से बचना। यह सामूहिक जनसमूह हमें सामाजिक रूप से तसल्ली देने का एक बड़ा साझा माध्यम होता है। कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए लोगों को सामाजिक रूप से अलग-थलग रहना पड़ रहा है। इस दौरान लोगों को सामाजिक एकांतवास का भी सामना करना पड़ा है।

व्यक्तिगत दूरी का मुकाबला करने का एक और बढ़िया तरीका यह हो सकता है कि छोटे-छोटे समूहों में रह रहे लोग आपस में वादा करें कि वे सभी एक-दूसरे पर भरोसा करेंगे। दुनिया से व्यक्तिगत दूरी को लेकर दृढ़ हैं, तो यह परिवार आपस में मेलजोल बढ़ा सकते हैं और एक-दूसरे की मदद कर सकते हैं। इस तरह से वह अलगाव और विरक्ति के एहसास से पार पा सकेंगे। इस दौर में यह आवश्यक है कि अकेलापन और विरक्ति का एहसास, केवल लोगों की सोच पर आधारित होते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्तिगत दूरी का मतलब सामाजिक वियोग नहीं है। शारीरिक जुड़ाव से एकमात्र अनुपस्थिति आप अभी भी अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ विचारों और भावनाओं के माध्यम से जुड़े रह सकते हैं। अतः भौतिक रूप से दूर रहते हुए भी भावनात्मक तौर पर करीब रहें।

इस महामारी के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए वर्तमान में एहतियात रखना जरूरी है। सभी नागरिकों को सरकार ने सलाह दी गई है कि

सभी अपने घर पर ही रहें और सावधानी बरतते हुए व्यक्तिगत दूरी कम से कम एक मीटर तक बनाकर रहें। इससे लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति का सचेत रहना नितांत आवश्यक है। यह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी सभी व्यक्तियों को प्रभावित कर रहा है। घर पर रहें, भीड़ से बचें और बाहर निकलने पर अपने और दूसरों के बीच न्यूनतम एक मीटर की व्यक्तिगत दूरी बनाए रखें।

व्यक्तिगत दूरी और तालाबंदी से सभी लोगों की

कोविड-19 से सुरक्षा

व्यक्तिगत दूरी+तालाबंदी=सामाजिक टीका से ही होगा कोरोना का इलाज।

मनावैज्ञानिक हस्तक्षेप

कोरोना वायरस का प्रकोप आमजनों सहित सभी व्यक्तियों के लिए दबाव का कारण हो सकता है, क्योंकि महामारी ने दुःख, भय, चिंता, अनिश्चितता की भावना, दूसरों के बीच रुचि की कमी और निराशा जैसी भावना को जन्म दिया है। वर्तमान शोधों से जानकारी मिलती है कि व्यक्तिगत दूरी, स्व-अलगाव, सम्पूर्ण महाबन्दी या देशव्यापी तालाबंदी (लॉकडाउन, यानी सबकुछ बंद) के माध्यम से इस महामारी के विस्तार की गति पर विराम लगाया जा सकता है। भारत में भी इन उपायों को आजमाया जा रहा है, जो भारतीय जनमानस के लिए सर्वथा एक नया प्रयोग है। जीवन शैली में अचानक आए, इस बदलाव ने कई तरह की मानसिक समस्याओं एवं जटिलताओं को जन्म दिया है। लोग अपने-अपने घरों में रहने को विवश हैं और समाज से कटे हुए हैं, जिससे घबराहट, बेचैनी और असहजता की अनुभूति होने लगी है। सभी लोग एक तरह से कोरोना-फोबिया और अदृश्य मृत्यु-भय के साये में जी रहे हैं। इस विकट परिस्थिति में उत्पन्न मानसिक दबाव से बाहर निकलने में मनावैज्ञानिक हस्तक्षेप कारगर साबित हो सकता है।

स्वास्थ्य संकट का प्रभाव मनोवैज्ञानिक नतीजों के अलावा, मनोआर्थिक स्थिति पर भी होता है। व्यक्तियों का समूह सामाजिक मूल्यों और रुचियों के लिए खतरे के तौर पर पेश कर दिया जाता है। वर्तमान समय में मुख्यधारा की मीडिया के साथ सोशल मीडिया में भी लोगों को घर पर रहने और वहीं से कार्य करने वाले आग्रहों से भरा है, ताकि लोग वायरस से ग्रस्त होने और उसके प्रसार होने से बच सकें। लेकिन हाशिये के

तबकों के लिए यह आसान कार्य नहीं है, जो दैनिक मजदूरी कमाने के लिए शारीरिक श्रम करते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

ऐसी परिस्थिति में मानसिक बीमारियों से आक्रान्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कुछ समाचार एवं सूचनाएँ मानसिक आघात का कारण बन सकती हैं। कोरोना से बचने की पर्याप्त सूचनाएं सरकार द्वारा पहले ही जनमानस में प्रेषित हो चुकी हैं। सभी लोग आवश्यक जानकारियों से परिचित हैं। अपना ध्यान सकारात्मक कार्यों में जैसे चित्रकारी, पेंटिंग, संगीत, खेल, बागवानी, भोजन बनाना, महापुरुषों की प्रेरणादायी जीवनी, कहानियाँ, पढ़ने-लिखने की आदत विकसित करना, प्रेरक एवं आध्यात्मिक पुस्तकें आदि में मन लगायें।

नकारात्मकता से बचें, रचनात्मकता को अपनाएं

कोरोना वायरस के कारण चिंता, डर, अकेलेपन और अनिश्चितता का माहौल बन गया है। लोग दिन-रात इससे जूझ रहे हैं। इस तनाव का असर शरीर, दिमाग, भावनाओं और व्यवहार पर पड़ता है। हर किसी पर इसका अलग-अलग असर होता है। कोरोना महामारी के कारण लोगों को संक्रमण, बेरोजगारी और आर्थिक तंगी जैसी आशंकाएँ तो सता ही रहीं हैं, साथ ही उन्हें कई तरह के मानसिक दबावों का भी सामना करना पड़ रहा है। इस माहौल में घबराहट, बेचौनी, अकेलापन और अवसाद आदि से बड़ी समस्याएँ खड़ी हो सकती हैं। भावनात्मक असर गुस्सा, डर, चिड़चिड़पना, उदासी और उलझन हो सकती है। हम सभी को एकजुट होकर इस विपदा से निपटना है और भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़कर रहना है।

सृजनात्मक सोच

सृजन सभी का स्वभाविक एवं नैसर्गिक प्रवृत्ति है। प्रकृति में प्रत्येक व्यक्ति अनोखा एवं विशेष क्षमताएँ लिए हुए होता है, जिन्हें आगे और विकसित किया जा सकता है। बच्चे खेल-खेल में सीखते हैं और सभी बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति, क्षमताएँ और सौन्दर्य बोध का विकास होता है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति का उद्देश्य है, सृजनात्मक चिंतन का विकास करना। कला तथा अन्य क्रियाओं के माध्यम से सृजनात्मक अभिव्यक्ति करना, शारीरिक अंगों का कलात्मक ढंग से संचालन करना, गीतों में लयात्मक क्रियाओं में रुचि लेना, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध वस्तुओं से नमूने बनाने की क्षमता का विकास करना। खेल क्रियाओं के माध्यम

से चित्र बनाना, रंग भरना, कागज फाड़कर चिपकाना, मोती पिरोना, कठपुतली का खेल, मुखौटा पहनकर, अभिनय करना, अनुपयोगी सामग्री को चिपकाकर कोई आकृति बनाना, कागज से नाव बनाना आदि। बच्चों को अपने विचारों के अनुरूप सृजन करने की पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए। बच्चों की समस्त रचनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। बच्चों को नए वस्तुएं बनाने में तथा नए खेल खेलने में बड़ा आनंद आता है। इससे बच्चों के शारीरिक, मानसिक विकास के साथ सृजनात्मक एवं सौन्दर्य का बोध होता है। अतः यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सृजनात्मक अभिव्यक्ति से जीवन के अलग-अलग कार्य करने की प्रेरणा तथा नित्य कुछ नया करने के लिए सकारात्मक तरीके को अपनाया जाए।

मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान

कोविड-19 के दौर में मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। संक्रामक रोगों का सभी पर एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, ऐसे लोगों पर भी जो वायरस से प्रभावित नहीं हैं। किसी वैश्विक महामारी का मनोवैज्ञानिक परिणाम सामाजिक ताने बाने पर भी असर डालता है। बगैर मानसिक स्वास्थ्य के, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य नहीं हो सकता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बुनियादी तौर पर अभिन्न रूप से आपस में जुड़े हुए हैं। अतः कोरोना वायरस से संबंधित आत्महत्या की घटना होने की खबरें आती रही हैं, जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि वायरस से संक्रमित लोगों और उनके परिजनों के मानसिक स्वास्थ्य की सेवाओं को और बेहतर बनाना होगा।

निसर्ग की ओर उन्मुख

प्रकृति के साथ असीमित खिलवाड़ के कारण मानव जनित आपदा कोविड-19 हमारे सामने आया है। इसने लोगों के सामान्य दिनचर्या में डर का वातावरण पैदा कर दिया है, जो लोगों के व्यवहार को बदल रहा है। आज दुनिया के लोगों को अधिक मानवीय और अन्य जीव प्रजातियों के पक्ष में निर्णय लेने वाली व्यवस्था को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कोरोना नामक अदृश्य शत्रु ने महामारी का विकराल रूप धारण कर लिया है, जिस कारण से इंसान को अपनी जीवनशैली एवं जीविका के स्रोतों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। प्राकृतिक साधनों के दोहन से जलवायु में तीव्र गति से बदलाव हो रहा है। यही कारण है कि समय-समय पर इस प्रकार की

महामारी, बीमारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूखमरी, तूफान, चक्रवात, बाढ़, दावानल, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी जैसी आपदाओं के द्वारा प्रकृति का कहर देखने को मिलता है। इस तरह के प्राकृतिक आपदाओं से इंसान को संकेत मिलता रहता है कि मनुष्य, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने में असमर्थ है। कोरोना काल में इंसान ने महसूस किया है कि प्रकृति के दोहन के बिना भी सीमित साधनों के साथ सुखी जीवन यापन करना संभव है। वर्तमान में जीवन की गति थम सी जरूर गई है, लेकिन पूर्णतः रुकी नहीं है। जीवन अनवरत तरीके से प्रकृति के नियमानुसार चलायमान है। प्रकृति हमें जीने का एक मौका देती है। प्रकृति मानव से सह-अस्तित्व की मांग कर रही है। यद्यपि मनुष्य को सभी जीवों के अन्योन्याश्रय एवं अस्तित्व को स्वीकार करने और सम्मान करने की आवश्यकता है। वृद्ध एवं कमजोर लोगों की देखभाल करने से जीवन में आशा और विश्वास की भावना को बढ़ावा मिल सकता है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि जो लोग आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उनका सम्मान किया जाये। इसके साथ ही अपने पड़ोस में वृद्ध, जरूरतमंद लोगों को भोजन की सामग्री वितरित करना, पक्षियों को खाना देना, प्रोत्साहन का संदेश भेजना और सकारात्मकता बनाये रखने वालों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

वर्तमान समय में अपनी सांस्कृतिक विरासत को पहचानने तथा प्राचीन भारतीय परम्परा एवं शिक्षा में निहित सिद्धान्तों एवं उद्देश्यों को आधुनिक सुविधा से जोड़कर पुनः अपनाने की जरूरत है, जिससे पृथ्वी पर हमारा अस्तित्व बना रह सके। यह मानवता को न केवल व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने, बल्कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करने के लिए भी याद दिलाने का अवसर है। इस महामारी ने मनुष्य और प्रकृति के बीच अंतर्संबंध को फिर से स्थापित करने का सुनहरा मौका दिया है। हमें यह पहचानना होगा कि हम अपनी पृथ्वी को प्रकृति, पक्षियों और जानवरों के साथ भी साझा करते हैं। सभी जीवित प्राणियों के सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व की आवश्यकता है। प्रकृति की आराधना करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है, क्योंकि प्रकृति की अभिव्यक्ति पौधों और जानवरों में दिखाई देती है। प्रकृति के बारे में महात्मा गाँधी ने काफी उपयुक्त बातें को कही थी; "मैं प्राकृतिक कला को पहचानने की पूर्वजों की शक्ति के विषय में और कला को धार्मिक स्वरूप देने की उनकी दूरदृष्टि के विषय में श्रद्धा भाव रखता हूँ।"

हम जिस हवा में सांस लेते हैं और जो पानी हम पीते हैं वह साफ होना चाहिए। लॉकडाउन के मद्देनजर हवा की गुणवत्ता में भारी सुधार हुआ है। हाल ही में शहरी स्थानों में भटकने वाले जंगली जानवरों की रिपोर्ट से पता चलता है कि मानव ने किस हद तक पर्यावरण का विघटन किया है। हमारी दुनिया परस्पर निर्भर है। हमें इसके संतुलन की रक्षा करनी चाहिए ताकि हम स्वस्थ जीवन जी सकें। हमें एकजुट होकर पृथ्वी को सुरक्षित बनाए रखने की जरूरत है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ ही मानव, वनस्पति और जीव-जंतु के सेहत का ख्याल रखा जा सके। फलतः जब हमलोग शरीर और मन से मजबूत होंगे तभी इस स्थिति से निपट सकेंगे। सभी प्राणियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का सक्रिय सदस्य बनें। अतः वैश्विक महामारी के समय में तनाव, प्रतिरक्षा, स्वच्छता और सद्भाव का प्रबंधन करने में हमारा प्राचीन साहित्य और संबद्ध विषयों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

मानसिक संबल

महामारियों से उत्पन्न परिस्थितिजन्य मानसिक समस्याओं से निपटने में मनोसामाजिक संबल काफी लाभदायक होता है। ऐसे संकटकालीन अवस्था में लोग अकेले रहने को बाध्य हो जाते हैं, जिससे अन्तरवैयक्तिक सम्बन्ध कमजोर पड़ने लगता है। असुरक्षा का भाव बढ़ जाता है, जिससे मनोदैहिक विकृतियाँ पनपती हैं, जब व्यक्ति की आकांक्षाएँ पूरी नहीं होती है तो उसमें तनाव और कुंठा बढ़ जाती है। कोरोना महामारी समाप्त होने के बाद उत्तर अभिजातक संलक्षण (पोस्टट्रॉमेटिक सिंड्रोम) की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इन समस्याओं से निपटने के लिए वर्तमान में अपनों से दूरभाष (फोन), मोबाइल, ईमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ब्लॉग, वेबसाइट, स्काइप, जूम (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग, चैट), व्हाट्सएप, व्हाट्सएप ग्रुप (साइबर सेनानी) अन्य सोशल मीडिया के माध्यमों एवं साधनों से जुड़े रहना हितकर होता है। इससे इच्छा शक्ति मजबूत होती है। अकेलापन और तनाव से छुटकारा मिलता है। समाज के लोग उनके साथ हैं और सभी लोग मिलकर इस पर विजय पा सकते हैं। इससे आत्मबल बढ़ता है और भय भी कम होता है।

कोरोना महामारी के त्रासदी की स्थिति हो चाहे प्राकृतिक आपदा की स्थिति इसमें प्रभावित लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए त्वरित एवं सामूहिक कदम

उठाना जरूरी हो जाता है। किसी भी बड़ी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी सबसे प्रमुख तरीका है। इस दौरान मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे आम हैं। सभी को उनसे निपटने के तरीके को सीखना चाहिए। इस वायरस से लड़ने का एकमात्र तरीका हमारी स्वास्थ्य सुविधाएँ एवं सेवाएँ, हमारी सजगता, संकल्पशीलता, सहनशीलता एवं धैर्य जरूरी है। हमारे खानपान, रहन सहन की आदतें एवं शिक्षा व्यवस्था ही भविष्य में इस प्रकार की महामारियों से लड़ने के लिए हमारी आने वाली पीढ़ी को तैयार कर सकेगी। वर्तमान स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाये रखने के लिए आधुनिकतम तकनीकी संसाधनों के साथ ही साथ महामारियों से निपटने के परम्परागत उपायों, बड़े के अनुभवों को इस्तेमाल करके लाभ उठाया जा सकता है। अपने घरों में रहकर भी अपने प्रियजनों से जुड़े रहना परम आवश्यक है। समायोजनशीलता से परिस्थिति और परिवेश के अनुरूप स्वयं को ढालने की क्षमता बढ़ती है। सामान्यतः व्यक्ति किस प्रकार चिंतन, व्यवहार तथा प्रत्यक्षण करता है। यह उस मनुष्य के भीतर किसी तरह की भावनाएँ उत्पन्न करता है, इस तरह की मनोदशा मनुष्य के मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली के कार्य पर आधारित होती है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील रहने में सकारात्मक सोच और रचनात्मक क्रियाकलापों को अपनाना बहुत जरूरी है। अपने आत्मविश्वास और मनोबल को बनाये रखें। महामारियाँ आती-जाती रहती हैं, लेकिन अंतिम विजय मानव की दृढ़ इच्छाशक्ति और जीजिविषा की ही होती है। कोविड-19 कोई अंतिम महामारी नहीं है। निकट भविष्य में विजय मानव जाति की ही होगी।

संदर्भ

- भाटिया, एम. एस. (2004), मनोरोग, नेशनल बुक ट्रस्ट, नयी दिल्ली।
- मिश्र, भास्कर (2001), वैदिक शिक्षा पद्धति, महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद-विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन।
- मिश्र, उमाशंकर "दुनिया में बढ़ती जंतु-जनित रोगों की दहशत", विज्ञान प्रगति, अप्रैल 2020, नयी दिल्ली, पृष्ठ 28-29।
- सिंह, अभिषेक कुमार "कोरोना का कहर" विज्ञान प्रगति, अप्रैल 2020, नई दिल्ली, पृष्ठ सं. 8-13।
- चौधरी, के. सी. (2020); "कोरोना और मनोसामाजिक स्वास्थ्य", हाशिये की आवाज, मई 2020, नई दिल्ली, पृष्ठ सं. 10-14।

- Choudhary, K.C. (2019). "Yoga: A Key of Health", Social Welfare, CSWB, N. Delhi. (Vol.-66, No.-2, May 2019, p.38-39)
- Choudhary, K.C. (2018). "Yoga and Yagyopathy for Holistic Health", Social Welfare, CSWB, N. Delhi. (Vol.-65, No.-03, June 2018, p.37-39)
- Choudhary, K.C. (2017). "Yoga: A Way of Total Health", Social Welfare, CSWB, N. Delhi. (Vol.-64, No.-03, June 2017, p.30-33)
- Choudhary, K.C. (2016). "Yoga for Mental Health" Social Welfare, CSWB, N. Delhi. (Vol.-63, No.-4, July-2016, p.36-38)
- Choudhary, K.C. (2015). "Yoga for Healthy Living" Social Welfare, CSWB, N. Delhi. (Vol.-62, No.-3, June-2015, p.40)
- Choudhary, K.C. (2016). "Mental Health for All" Social Welfare, CSWB, N. Delhi. (Vol.-63, No.-7, October-2016, p.31-33)
- Choudhary, K.C. (2015). "Mental Health: An Overview" Recent Educational & Psychological Researches, Roorkee, 04, March-2015, p.44-48)

वेबसाइट्स

- <https://pib.gov.in> (viewed on 20 May 2020)
- <https://www.mohfw.gov.in> (Accessed on 17 May 2020)
- <https://www.mhrd.gov.in> (Accessed on 25 April 2020)
- <https://www.ncert.nic.in> (viewed on 7 May 2020)
- <https://www.nipccd.nic.in> (Accessed on 11 May 2020)
- <https://www.unicef.org> (Accessed on 15 May 2020)
- <http://www.unicef.org> (Accessed on 30 April 2020)
- <https://www.who.int> (viewed on 18 May 2020)
- <https://www.bhaskarhindi.com/national/news/coronavirus-disease-covid-19-novel-coronavirus-first-patient-of-coronavirus-symptoms-of-coronavirus-coronavirus-latest-updates-treatment-of-coronavirus-115339>
- <https://www.bbc.com/hindi/science-51366908#share-tools>
- <https://www.bbc.com/hindi/india-52190038#share-tools>
- <http://thewirehindi.com/116487/corona-virus-lockdown-condition-of-migrant-workers/>

□ □

लेखक : सहायक प्रोफेसर हैं।

सम्पर्क : मनोविज्ञान विभाग एवं राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम पदाधिकारी, एस.बी. कॉलेज, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, मौलाबाग, झारा, जिला-भोजपुर-802301, बिहार

ईमेल : krishna.nipccd@gmail.com

कोरोना संकट का जानलेवा दस्तक

दुनिया में कोरोना का पहला परिचय 17 नवम्बर को चीन में हुआ, जो दिसंबर में दुनिया के सामने आया। भारत में इसका प्रवेश 30 जनवरी, 2020 को कैरल में हुआ। चीन में हुए इस महामारी का अनुभव था। हमारे पास इससे बचने के लिए पर्याप्त समय श्री था, लेकिन सरकार ने बाहर से आनेवाले लोगों की ठीक से जांच पड़ताल नहीं की और महामारी को देश में प्रवेश करने दिया।



||विवेकानन्द माथने

आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कारण भयानक स्थिति में पहुंच चुकी है। अगर हम अब भी सावधान नहीं हुए तो पूरी दुनिया को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। भारत जैसे 138 करोड़ की आबादी वाले देश में जहां जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। यह खतरा और बढ़ जाता है।

कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से या फिर कोरोना संक्रमित व्यक्ति के बोलते, खांसते या छींकते समय बाहर पड़े बूंदों के संपर्क में आने से कोरोना वायरस का संक्रमण होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि मुंह से बाहर पड़ा कोरोना वायरस छह फुट की ऊंचाई तक और जमीन पर पहुंचने तक 34 मिनट हवा में होता है। एक बूंद में लाखों कोरोना वायरस होते हैं। ऐसी बूंदों में अलग-अलग सतह पर कोरोना वायरस 10 मिनट से लेकर अधिकतम तीन दिनों तक जीवित रह सकते हैं। कोरोना संक्रमित सतह के संपर्क में आने से और संक्रमित हाथ से आंख, मुंह, नाक को स्पर्श करने से कोरोना शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार हर एक से दूसरे व्यक्ति में यह संक्रमण फैलता है। ऐसे हर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से इसकी एक शृंखला बनती जाती है और वह तेज गति से लोगों में फैलता है।

विदेश से आए संक्रमित व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमण होना पहला स्टेज माना गया है। इन संक्रमित व्यक्तियों का दूसरे अनेक व्यक्तियों तक पहुंचाना दूसरा स्टेज माना गया है, जब यह संपर्क एक

से दो और दो से अधिक व्यक्तियों के बीच फैलता है और इस तरह से एक शृंखला बनकर पूरे समाज में सामुदायिक संक्रमण होने लगता है जिसे स्टेज तीन माना गया है। तीसरे स्टेज में यह संक्रमण समाज में तेजी से फैल जाता है। भारत अब तीसरे स्टेज में प्रवेश कर रहा है।

जब भारत में विदेश से संक्रमित लोग आए, तब उन्होंने अनेक स्थानीय लोगों को संक्रमित किया। इसके बाद स्थानीय संक्रमित व्यक्तियों ने अनेकों को संक्रमित किया। यह अनेक संक्रमित लोग गाँवों में वापस लौटकर अपने साथ कोरोना को अपने गाँव और अपने घर ले गए। इस तरह से एक शृंखला बनती गई। आज हजारों कोरोना कैरियर पूरे देश के गाँवों, कस्बों, छोटे-बड़े शहरों में पहुंच चुके हैं। इस कारण पूरे देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है और फैलता जायेगा। यह एक सुनामी का रूप धारण कर सकता है।

कोरोना एक नये प्रकार का वायरस है। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना वायरस ज्यादा खतरनाक नहीं है। जिस व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत है, वह आसानी से कोरोना वायरस का मुकाबला कर सकता है और इस वायरस से जीत सकता है। संक्रमित लोगों में लगभग 80 प्रतिशत सामान्य उपचार से ठीक हो जाएंगे सामान्य बुखार के लक्षणों के साथ यह बीमारी ठीक हो जाती है। सामान्यतः तापमान वृद्धि के साथ अनेक वायरस मर जाते हैं। लेकिन कोरोना पर इसका प्रभाव पड़ता नहीं दिख रहा है, पर यह माना

जा रहा है कि भारत में तापमान वृद्धि के साथ कोरोना थोड़ा कमजोर पड़ सकता है।

कोविड-19 से मृत्यु का दर मात्र 3 प्रतिशत के आसपास है। विश्व के आंकड़े बताते हैं कि जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत है, ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु के प्रमाण नहीं के बराबर है, इसमें अधिकतर 10 से 40 साल की उम्र के लोग आते हैं। गर्भवती महिलाएं और दस साल से छोटे बच्चे, जिनमें प्रतिरक्षा प्रणाली पूरी तरह मजबूत नहीं हुई है, इसके अलावा 50-60 साल की आयु के बाद खासकर पहले से जिनको कई सारी बीमारियां हैं और इस कारण से उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो गई है, ऐसे व्यक्तियों पर इस वायरस का प्रभाव काफी घातक होता है, जिस कारण से उनकी जान को खतरा हो सकता है। कोरोना के संक्रमित व्यक्तियों के शरीर में आठ से 37 दिन तक निवास करते देखा गया है।

सवाल यह है कि अगर कोरोना इतना खतरनाक नहीं है और मृत्यु दर केवल तीन प्रतिशत के आसपास है, तो फिर दुनिया में इसको लेकर इतना डर क्यों फैला है? क्योंकि इससे जितने अधिक लोग संक्रमित होंगे उतने अधिक लोगों की मृत्यु हो सकती है। इस समय दुनिया की आबादी 770 करोड़ और भारत की आबादी 138 करोड़ है। यह मान लिया जाए कि इसमें से केवल 10 प्रतिशत लोगों में भी यह बीमारी फैलती है, तब विश्व के 77 करोड़ लोग और भारत के 13.8 करोड़ लोग संक्रमित होंगे। तीन प्रतिशत की मृत्यु दर के हिसाब से दुनिया भर में 2.31 करोड़ और भारत में 41 लाख लोगों का जीवन खतरे में हो सकता है। यह कहा जा रहा है कि भारत में कोरोना 20 प्रतिशत से भी ज्यादा लोगों को संक्रमित करेगा। यह एक भयंकर स्थिति है और यही कारण है कि पूरी दुनिया इससे डरी हुई है।

जब तक कोविड-19 का कोई इलाज नहीं मिलता तब तक कोरोना से संक्रमित होने से बचना ही एकमात्र उपाय है, जबकि वह पूरे देश में फैल चुका है और कहीं भी संक्रमित व्यक्ति के मुंह से निकली बूंदों एवं संक्रमित सतह के संपर्क में आने के बाद खतरा और बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थिति में अपने आपको घर में बंद रखना ही कोरोना से बचने का उपाय है।

कोरोना वायरस का बाह्य आवरण कमजोर होने के कारण किसी भी साबुन से 20 सेकेण्ड से ज्यादा समय तक और बताए गए सात स्टेप्स के अनुसार हाथ धोने से कोरोना वायरस का बाह्य आवरण टूट जाता है,

जिससे यह समाप्त हो जाता है। इसलिए डॉक्टरों ने लोगों से बार-बार साबुन से हाथ धोने की सिफारिश की है। साथ ही जिस सतह पर कोरोना पड़ा है, वहां यह वायरस 24 घंटों में और अधिकतम तीन दिन के बाद मर जाता है। आपके घर में बाहर से आ रहे किसी भी वस्तु जैसे अखबार, दूध के पैकेट या अन्य ऐसी चीजों के माध्यम से भी वह आपके घर में प्रवेश कर सकता है। इसलिए अभी बाहर से कोई भी वस्तु घर में न लाएं। अगर कुछ लाना जरूरी हो तो उस पैकेट को साबुन से धोकर या कम से कम 24 घंटे अलग रखकर बाद में उसका इस्तेमाल करें।

संक्रमित व्यक्ति को घर, पड़ोस, गांव या शहर में अलग रखकर ही उसका उपचार करना होगा। लेकिन कोरोना के लक्षण प्रकट होने में 14 दिन का समय लग सकता है या 21 दिनों में रोगी की स्थिति स्पष्ट होगी। इसलिए कर्पूर को कम-से-कम 21 दिनों तक रखना ही होगा। अगर हम सभी इस समय भी ठीक से सावधानी नहीं बरतेगें तो हो सकता है, इस लॉकडाउन को और बढ़ाया जा सकता है, जब तक इस वायरस का फैलाव नियंत्रित नहीं हो जाता है। इसलिए उतनी दक्षता से हम बचाव के उपायों का पालन करेंगे उतने जल्दी हम संकट से बच पायेंगे। यह कर्पूर दो तीन महीने से अधिक बढ़ सकता है।

इसलिए नागरिकों को सरकारों द्वारा लगाया गया कर्पूर को सहयोग करना चाहिए। अनावश्यक घूम रहे लोगों को प्यार से समझाकर रोकना होगा। यदि किसी ने वृद्ध माता-पिता को वृद्धाश्रम में रखा हो तो पुलिस की अनुमति लेकर घर वापिस लाएं और उनकी सेवा करें। कहीं ऐसा न हो कि फिर जिंदगी भर पछताना पड़े। अपने गांवों में प्रशासन की सहमति से कोई भूखा न रहे, इसकी व्यवस्था करनी होगी। केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, और दिल्ली सरकारें कोरोना महामारी को रोकने के लिए बेहतर उपाय कर रही हैं। देश की जनता को अनुशासन का पालन करना चाहिए। इस समय देश के सभी लोगों को डॉक्टरों के निर्देशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए।

खेतों में पड़ी फसलों को घर लाने एवं उसके उचित रखरखाव की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि संकट लंबे समय तक चलता है तो देश में खाद्यान्न की कमी न हो। फसलों के नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार को उचित मुआवजा देने की व्यवस्था करनी होगी। वर्तमान सरकार के सारे उपाय केवल संगठित क्षेत्रों और विभिन्न योजनाओं में रजिस्टर हुए



उद्योगपतियों के लिए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश में ऐसे लाखों लोग हैं, जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं हैं, जैसे कामगार और देहाड़ी मजदूर, अनाथ, भिखारी आदि के बारे में अधिक से अधिक व्यवस्था करने की जरूरत है।

जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को पर्याप्त सुरक्षा किट देने की जरूरत है। इसके अलावा कोरोना टेस्टिंग लैब, वेंटिलेटर, दस्ताने, मास्क इत्यादि को फ्री में उपलब्ध कराना चाहिए। जिन राज्यों के पास आर्थिक साधन नहीं हैं, उन्हें तत्काल केंद्र सरकार को मदद पहुंचानी चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में मास्क और वेंटिलेटर की कमी होने के बावजूद सरकार ने 24 मार्च, 2020 तक इनका निर्यात किया है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी चेतावनी जनवरी-फरवरी के बीच कर दी थी।

अगर समय रहते सरकार ने उचित प्रबंध नहीं किया तो भारत में भुखमरी का संकट पैदा हो सकता है। हमारे देश में कम से कम 60 करोड़ लोगों को रोज मजदूरी करके ही खाना नसीब होता है। 20 करोड़ लोगों के पास आज भी खाने के लिए अनाज नहीं है। लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ने के साथ-साथ भुखमरी का संकट गंभीर रूप धारण कर सकता है। यदि भूखे लोगों को समय रहते भोजन नहीं दिया गया तो कोरोना की बीमारी के साथ-साथ भुखमरी से भी लोग मर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों ने अभी तक कोई ठोस उपाय नहीं किए हैं।

केंद्र सरकार को पूरे देश के लिए एकीकृत और व्यापक योजना बनानी चाहिए। वर्तमान समय में केंद्र

सरकार सारी जिम्मेदारी राज्यों पर डालकर केवल दिशा निर्देश देने का काम कर रही है। जिसके कारण से आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों की जनता को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सरकार के पास इतना समय था कि वह बुनियादी चीजों की आपूर्ति को ध्यान में रखकर चरणबद्ध तरीके से कर्पय लगाते, लेकिन वे कोरोना की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे थे। अब इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। प्राथमिक अनुमान के अनुसार कोरोना संकट का सामना करने के लिए एक लाख करोड़ रुपयों की जरूरत है। लेकिन हमारी सरकार ने अभी तक कितने हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है यह बहुत बड़ा प्रश्न है।


दुनिया में कोरोना का पहला पहचान 17 नवम्बर, 2019 को चीन में हुई, जो दिसंबर में दुनिया के सामने आया। भारत में कोरोना का प्रवेश 30 जनवरी, 2020 को केरल में हुआ। हमारे पास इससे बचने के लिए पर्याप्त समय था, लेकिन सरकार ने बाहर से आनेवाले लोगों की ठीक से जांच पड़ताल नहीं की और इस महामारी को देश में प्रवेश करने दिया। संक्रमित लोगों को 14 दिनों के लिए आइसोलेशन में या क्वारंटीन में रख सकते थे। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। पहले हम अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए रेड कारपेट बिछाने में व्यस्त रहे। इसके शाहीन बाग को कारक बनाकर हिंदू-मुस्लिम का खूनी खेल खेलते रहे। इसके बाद मध्यप्रदेश में सरकार गिराने में भाजपा के सभी बड़े नेता विधायक की खरीद में व्यस्त थे, इसके बाद जब थोड़ी फुरसत मिली तो 24 मार्च, 2020 के बाद से सरकार ने कोविड-19 के बारे में सोचना शुरू किया। तब तक कोरोना पूरे देश फैल रहा था।

इसमें सबसे बड़ा दोष वर्तमान केंद्र सरकार का है। इसके बाद कॉरपोरेट मीडिया का भी है, जो सरकार का भोंपू बनकर खुशियां मना रहे थे। ऐसे सेनापति को क्या कहा जा सकता है, जो युद्ध के आरंभ में ही विजयोत्सव मनाने लग जाते हैं। देश की जनता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इतनी भी थालियां न बजाये और दीये जलाकर उत्सव न मनायें कि जब इस महामारी में उनके घर के किसी सदस्य की मौत हो जाएगी, तब उनको अपना माथा और छाती पीटने के लिए हाथों में ताकत ही न बचे। □□

सम्पर्क : 97, जवाहर नगर, अमरावती-444601,
महाराष्ट्र

ईमेल : vivekanand.amt@gmail.com

लॉकडाउन में मजदूर हुए मजबूर!



॥राजकुमार बोहत

नहीं चला जा रहा है, उनकी हालत देखकर आँखों में आंसू आ रहे हैं, मगर क्या करूँ रो भी नहीं सकता। अगर मैं रोया तो सभी टूट जायेंगे। बड़े बेटे ने जूते पहने हैं, इस गर्मी में चलते चलते जूते में उनके पैर गल गए हैं। जूते फेंक भी तो नहीं सकते, क्योंकि जमीन बहुत गर्म है हम चल नहीं पाएँगे। इन सब गम को मैं कैसे देखूँ एक भयानक और खौफनाक मंजर है...। मन में बार-बार यही ख्याल आ रहा है, क्या यह मंजर टलेगा या हम सब रास्ते में ही दम तोड़ देंगे! बार-बार मन में बेचौनी उठ रही है। मैं सबसे आगे चल रहा था, चलते चलते अचानक मेरी पत्नी जोर से चिल्लाई और मैं एक दम से सहम-सा गया। मन में एकदम से घबराहट हुई मैंने देखा मेरा छोटा बेटा बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। मैंने और मेरे बड़े बेटे ने उसे उठाकर एक पेड़ की छाँव में लिटाया। मेरी बहुएं एवं पत्नी जोर-जोर से रोने लगी। हमारे पास पानी भी खत्म हो चुका है। हमारे पास एक छोटा-सा फोन है, परन्तु उसकी बैटरी खत्म होने की वजह से वो भी बंद है, जिस कारण हम किसी को फोन भी नहीं कर पा रहे हैं। यहां आस-पास कहीं भी पानी नहीं है सिर्फ सूखे खेत एवं जंगल दिख रहा है। सब जोर-जोर से रो रहे थे, मुझसे भी अब न रुका गया और मेरी भी चीख निकल गई। हम सभी वहां सब रोते रहे, करीब आधा घंटा के बाद कुछ मजदूर वहां आये उनको भी आगे जाना था, उनके पास थोड़ा पानी था मैंने उनसे पानी लेकर बेटे के मुँह में डाला। करीब 10 मिनट बाद बेटे को होश आया। सभी ने उसको गले लगा लिया और सब रोते रहे। शाम हो चुकी थी तो वहीं पर रात बिताने के लिए रुक गये और अगले दिन सुबह करीब 5 बजे फिर से अपने गाँव के लिए चल पड़े।

□

सम्पर्क : ग्राम नारायणा, तहसील समालखा जिला पानीपत, हरियाणा-132101

ईमेल : rajkumarbohat@gmail.com

सड़क पर चलता मजदूर कहता है 'सब कुछ खत्म हो गया है ये कोरोना की बीमारी तो मौत से भी बदतर आई है हमारी जिंदगी में! हम अपने बिहार जा रहे हैं, वो भी पैदल क्योंकि किसी ने हमें न तो गाँव जाने के लिए कोई मदद की और न ही फ़ैक्ट्री मालिक ने हमारी पूरी मजदूरी दी। हम यहाँ रुक कर भी क्या करते? सब कुछ तो बंद हो गया है जिस कमरे में रहते थे, मकान मालिक किराया मांग रहा था। किराने की दुकान वाले ने उधार देना बंद कर दिया। एक-दो दिन पड़ोस से मांग कर खाया। पड़ोस वालों की हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी। दो दिन घर में भूखे पड़े रहे हारकर सुबह-सुबह अपना थोड़ा बहुत सामान उठाकर पैदल चल पड़े। क्या करते यहाँ मरने से अच्छा तो अपने गाँव जाकर मरें, ताकि कोई जला तो दे हमें। मेरे दोनों जवान बेटे उनकी बहुएं दो छोटे पोते मेरी बीमार पत्नी और मैं। छोटे बेटे की बहु तो सात महीने की गर्भवती भी है। आज हमें चलते-चलते तीसरा दिन हो गया है। मुझे नहीं पता कि हम अपने गाँव कब पहुँचेंगे या रास्ते में ही दम तोड़ देंगे। मेरे एक पैर की चप्पल टूट चुकी है, जो मैंने एक धागे से बाँधी हुई है। मेरी पत्नी की चप्पल तो एक दिन पहले ही टूट चुकी थी, जिसे रास्ते में ही फेंकनी पड़ी थी। दूर-दूर तक यहाँ पानी ही नहीं दिख रहा है। खाने की उम्मीद तो हमने छोड़ ही दी है। हम परिवार के सभी सदस्य बुरी तरह थक चुके हैं, मेरे दोनों पोते भूख से बिलख रहे हैं, हमने तीन दिन से कुछ नहीं खाया है सिवाए पानी के। अब तो पानी भी खत्म हो चुका है। मेरी पत्नी एवं बहुओं से

धर्म समाज की सेवा कैसे करता है!



|| डॉ. दोनी पी. एम. ||

एकमात्र समावेशी पहलू होगा। अन्य सभी तत्व परस्पर वशिष्ट हैं।

यदि किसी धर्म को निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक विशिष्ट पहचान की रक्षा और संरक्षण करने की जरूरत पड़े तो उसमें से इन तत्वों को अलग होने की आवश्यकता है। धर्मों की पहचान और संरचित

निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए तत्वों को अलग होने की आवश्यकता है, लेकिन यह एक अलग प्रश्न है।

धर्म के तत्व क्या हैं?

धर्मशास्त्र : यह धर्म के प्रभावों और धार्मिक सत्य की प्रकृति को तर्कसंगत और व्यवस्थित अध्ययन की प्रक्रिया है। अधिकांश संगठित धर्मों की अपनी व्यवस्थाएं या धार्मिक शिक्षाओं के साथ विश्वास प्रथाओं का व्यवस्थित रूप से स्कूल बनता है। उदाहरण के लिए कैथोलिक धर्मशास्त्र, यहूदी धर्मशास्त्र आदि। इसका उद्देश्य ऐसे सवालों का तार्किक उत्तर देना है, जिसके तहत कुछ विश्वास प्रथाओं की स्थापना की गई है, जिसमें विश्वासियों को ईश्वर, मनुष्य और प्रकृति के साथ उनके संबंधों को विश्वास के दर्शन में सामंजस्य तरीके से स्थापित किया है। दैनिक जीवन के लगातार बदलते संदर्भ में जीवित रहने के लिए किसी भी संगठित धर्म के लिए एक रचनात्मक और ठीक-ठाक धार्मिक अभ्यास करने की जरूरत होती है। इसलिए किसी भी धर्म के विश्वासियों के जीवन की दुनिया में अपने मूलभूत धार्मिक विश्वासों, विचारों और उनके अनुप्रयोगों की व्याख्या करना महत्वपूर्ण होता है। बेशक, ऐसा करने के लिए, धर्मविज्ञान उन मूल या मूलभूत अनुभवों को लगातार

धर्म और धार्मिक प्रथाएं इतिहास के शुरुआत से ही मनुष्यों के साथ जुड़ी हुई हैं। धर्म मनुष्य को अलौकिक शक्ति की ओर ले जाने का मार्ग बताता है। इसलिए वह मानवतावाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संगठित धर्मों में कुछ सामान्य संरचनात्मक तत्व होते हैं। यह तत्व हर मनुष्य को विशिष्ट तरीके से परिभाषित करते हैं। इसके साथ-साथ उन्हें विशिष्ट पहचान एवं निरंतरता देते रहते हैं।

धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तत्व

1. धर्मशास्त्र—ईश्वर, प्रकृति और मनुष्यों के बारे में एक एकीकृत दृष्टि या समझ प्रदान करता है।
2. धार्मिक दर्शन—तर्कसंगत रूप से मनुष्य को एक सर्वोच्च वास्तविकता या भगवान में विश्वास रखने, पारगमन, धार्मिक अनुष्ठान और संस्कार की व्याख्या करता है।
3. धार्मिक संस्थानों में मौलवियों, पुजारियों और संरचित धर्मों की निरंतरता सुनिश्चित करने के प्रभारी की बात करता है।
4. इसमें पंथ, कोड, संस्कार और अनुष्ठान शामिल हैं।
5. प्रत्येक धर्म द्वारा पोषित बुनियादी मूल्य और तत्व किसी भी एक धर्म के मूल्य सिद्धांतों को, एक बहुलवादी और बहु-धार्मिक समाज में सभी धर्मों का

दोहराएगा, जो विश्वासियों के समुदाय को सौंपे गए थे। वह तब प्राप्त किए गए विश्वास दृष्टि को आधार बनाकर समसामयिक घटनाओं और प्रक्रियाओं की व्याख्या करता है, जब तक नए सिरे से अंतर्दृष्टि और प्रेरणा उभर कर सामने न आ जाये। इन लक्ष्यों को पाने के लिए विश्वासियों का समुदाय अधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी कठिन कार्यों को करने के लिए तैयार हो जाता है। अधिकतर धर्म इस कार्यवाही को नए सिरे से करने के बारे में सोचता है और सम्प्रदाय के मूल एवं व्यापक ढांचे के भीतर ही करता है।

धार्मिक दर्शन

यह ईश्वर के अस्तित्व एवं देवताओं की प्रकृति के साथ परमात्मा से संबंधित प्रश्नों की तर्कसंगत जांच प्रक्रिया है। धार्मिक दर्शन किसी विशेष धर्म द्वारा प्रेरित और निर्देशित किया जा सकता है। यह उद्देश्यपूर्ण तरीके से किया जा सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य किसी विशेष धर्म के विश्वासियों को मानने के लिए हो सकता है। धार्मिक दर्शन के परिणाम उस विशेष धर्म के ढांचे के भीतर होंगे। यह एक जीवंत धर्म का महत्वपूर्ण पहलू है। हालांकि, यह अन्य विश्वासियों को इस गतिविधि में सार्थक रूप से शामिल करने की संभावना को नियंत्रित भी करता है।

पंथ, संहिता, संस्कार और अनुष्ठान

पंथ सार्वजनिक पूजा या दीक्षा संस्कार में नियोजित विश्वास की एक संक्षिप्त पुष्टि को संदर्भित करता है। अनुष्ठान एक औपचारिक घटना, परंपरा या पवित्र संस्कार द्वारा निर्धारित किया गया कार्य है। यह एक ऐसा व्यवहार है, जिसे विशिष्ट रूप से देखा जा सकता है। अनुष्ठान औपचारिक क्रियाओं का प्रदर्शन है। संहिता नियमों सिद्धांतों या कानूनों का एक समूह है, जो किसी विशेष धर्म या समाज से संस्कार, कर्मकांड और जीवन के बारे में है। यह निश्चित रूप से, प्रत्येक धर्म के लिए विशिष्ट है।

धार्मिक संस्थान: यह विभिन्न धार्मिक संप्रदायों द्वारा प्रेरित और स्थापित संस्थान हैं, जो विश्वास प्रणालियों और प्रथाओं को बनाए रखने और अपने भविष्य की निरंतरता और विस्तार सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखते हैं।

आस्था प्रथाओं के संस्थान भी संस्कार हैं, उदाहरण के लिए संस्कारों के कर्ता-धर्ता जो इन प्रथाओं को अंजाम देते हैं, उनका आम जनता के लिए विभिन्न सेवाओं को प्रदान करते हुए आय सृजन करना होता है। इस तरह की संस्थाएं आम तौर पर मतभेद होने के

बावजूद सभी लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं।

मुख्य मूल्य

यह मूल्य मानवीय गुण हैं, जो किसी के जीवन और कार्य में महत्वपूर्ण हैं। मूल्य जीवन में हमारे लक्ष्यों को निर्धारित करने में मदद करते हैं। धर्म मनुष्य और समाज में मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। कोर-वैल्यू वह है, जो एक विशेष धर्म या समाज में विशिष्ट रूप से सामने दिखता है। यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि ईसाई धर्म में प्रेम, न्याय, पश्चाताप और क्षमा का विशेष स्थान है। इस्लाम भाईचारे भ्रातृत्व को बढ़ावा देता है वहीं बौद्ध धर्म करुणा को, जो आदिवासी सरना धर्म को मानते हैं, उनका संबंध मानव प्रकृति और ईश्वर के साथ अपने संबंधों में शुद्ध-पारस्परिकता के मूल्यों को जीते हैं। हिंदू धर्म शांति, सद्भाव और सत्य की खोज पर जोर देता है। इसके बावजूद कोई भी धर्म किसी भी मूल्य के महत्व को खारिज नहीं करता है। इसके साथ ही सभी धर्म अन्य मानवीय मूल्यों को शामिल करने का प्रयास करते हैं। इसलिए जब भी मूल्यों को पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ अपनाने का अभ्यास किया जाता है, तो धर्मों का यह पहलू न केवल समावेश की अनुमति देता है, बल्कि एक बेहतर मानवीय समाज के निर्माण में योगदान देता है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि सभी धर्मों के मूल्य एक दूसरे के पूरक हैं। प्रेम के बिना भाईचारा नहीं हो सकता, न्याय के बिना शांति नहीं हो सकती, और सद्भाव के बिना करुणा सच्ची और क्षमा नहीं हो सकती।

निष्कर्ष

धर्म का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य मनुष्यों में जीवन की पुष्टि, अच्छाई और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है, ताकि वह अपने रोजमर्रा के अनुभवों को और अधिक सार्थक तरीके से उपयोग करने के लिए सक्षम हो सके और पारलौकिक शक्ति के दायरे से जुड़े रहें, जो जीवन के अर्थ और उद्देश्यपूर्णता को समग्रता में ले जाता है। धर्मशास्त्र, दर्शन, पंथ, मूल और संस्कार और संस्थाएं मानव मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होनी चाहिए। यह प्रक्रिया दोनों दिशाओं से होती है। जितना अधिक व्यक्ति अपने जीवन में अर्थपूर्णता का अनुभव करता है, उतना ही अधिक वह दूसरों, ईश्वर और प्रकृति के संबंध में अपने रोजमर्रा के जीवन का बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होता है। धर्म मनुष्य के उस परमात्मा के अनुभव को गहरा करने का एक मार्ग है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन को परमात्मा के प्रतीक में बदल देता है। यदि

कोई व्यक्ति अपने धर्म, विश्वास और विश्वास प्रणालियों की रक्षा करने को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, बजाय इसके की जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित कर जाए, वह व्यक्ति धर्म के वास्तविक उद्देश्य से दूर हो जाता है। मनुष्यों का अंतिम लक्ष्य भगवान को पूरी तरह से महसूस करना है, जबकि धर्म केवल लक्ष्य तक पहुंचने का साधन मात्र है। ईश्वर सभी मानवीय तर्क और कल्पना से परे है। इसलिए, यह एक गलतफहमी है कि मनुष्य अपनी सृष्टि के देवताओं की रक्षा करने में संलग्न रहता है। इसलिए, हमें धर्म को मनुष्यों के लिए भगवान का अनुभव करने के मार्ग के रूप में देखना चाहिए। इतिहास हमें बताता है कि दैवीय गतिविधियां वास्तव में अधिक मानवीय गतिविधियां हैं, जो इसके विपरीत होते हुए भी सही हैं।

हम मानव के रिश्तों में मानवीय मूल्यों को जीते हुए देखते हैं। एक इंसान को रिश्तों के एक झुंड के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। एक अच्छा मानव समावेशी मानवीय मूल्यों का पालन करता है। उपर्युक्त मानवीय मूल्य सर्व-समावेशी और एकीकृत हैं। हालांकि, यह एक धर्म और उसके सभी तत्वों का उपयोग विभाजनकारी और जीवन निष्फल मूल्यों और सिद्धांतों की खेती के लिए भी किया जा सकता है। इतिहास गवाह है कि धर्मों का उपयोग दूसरों को बाहर करने, दास बनाने, गिराने एवं गैर बनाने के बाद खत्म करने के लिए भी किया जा चुका है। अगर धर्म को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है, तब समाज में सबसे घृणित हिंसा पैदा होती है। यदि लोगों के धर्म या धार्मिक भावनाओं का उपयोग दूसरे धर्म के लोगों को निष्कासित करने, लेबल करने और खारिज करने के लिए किया जाता है तो ऐसी स्थिति में समाज का विभाजन हो जाता है। इस तरह की प्रवृत्तियों को चुनौती देना जरूरी है। यदि इसे चुनौती नहीं दी जाती है, तो समाज एक ऐसी गलती को दोहराएगा, जो इतिहास में पहले भी हो चुकी है। रिश्तों में शुद्ध-पारस्परिकता प्यार के बदले में प्यार ही लौटाता है, ईमानदारी के बदले में ईमानदारी ही मिलता है। इसका मतलब यह है कि एक सच्चा और धार्मिक अपने संबंधों में प्यार के बदले में नफरत कभी नहीं लौटाता है। वह अन्य मुख्य मानवीय-मूल्यों को भी इसी तरह सभी रिश्तों में बनाए रखता है।

□□

सम्पर्क : नमकूम, बगईचा (सीएचजैड) C/o एटीसी नमकूम पौ., जिला -रांची-834010, झारखण्ड
ईमेल : pmantony@gmail.com

आपकी अपनी पत्रिका आपके घर पर



यह आवाज़ महज़ आवाज़ नहीं,
सामाजिक परिवर्तन हेतु
आन्दोलन है,
जिसमें आप भी शरीक होइए!
नीचे छपा कूपन भरकर भेज दीजिए।

.....
नाम :

डाक पता :

.....पिन : □□□□□□

ईमेल :

मो.नं.

.....

मूल्य : एक प्रति 25 रु. , वार्षिक 300 रु., द्विवार्षिक 575रु., त्रिवार्षिक 850 रु. , दस कॉपी खरीदने पर 10% की छूट

सहयोग राशि भुगतान का माध्यम-चेक/
मनीऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/नकद भुगतान
कृपया निम्न पते पर भेजें।

‘हृषिये की आवाज़’

इटीग्रेटेड सोशल इनिशिएटिव्स
10-इन्स्टीट्यूशनल एरिया
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
फोन : 011-49534156/57

Email : publication@isidelhi.org.in
hka@isidelhi.org.in

Fax : 011-24690660/49534101

निरासा



|| डॉ. नीरा परमार

परिवार पास-पड़ोस और लोगों ने बिना हुज्जत-सवालियों के निरासा नाम स्वीकार कर लिया था। सरापने-कोसने और उलझनों के बीच निरासा भी बढ़कर सयानी होती चली गई थी।

कभी आँगन लिपती, कभी बैलों के मुँह के सामने नाद रखती, कभी गोबर समेट भरी दोपहर में बाहर दीवार पर गोबर पाथती। वह किसी-न-किसी टंटे से उलझी नज़र आती। बापू के आते ही अपराधी-सी किसी ओट में जा छिपती। दूसरी बहने तो हँसी, उठ्ठा शोरगुल कर भी लेतीं, लेकिन निरासा सकपकाई-सी चुप्पी साधे रहती। कभी-कभी माँ को उसका अपने चारों तरफ सन्नाटा खीचें रहने में थैथरई नज़र आती।

वह जब तब गरिया-गरिया कर चुप हो जाती, तो वह उसकी तरफ देखती, लेकिन उससे कुछ भी बोलना अंधी दीवार से बात करने के बराबर था।

परिवार में वह कब अपने काम निपटाती, खाती-सुस्ताती किसी को कोई अंदाज नहीं। भगवान ने उसे खूब बज्जर करेज बनाकर अच्छी-खासी मजबूत काठी दे रखी थी। न कभी वह थकती और न ही किसी ने उसे बीमार पड़ते देखा होगा। काम न होता तो वह खोज-खोजकर काम निकाल दिन गुजार लेती। उसका होना न होना शायद ही किसी के लिए कोई माने रखता था।

रामकिसुन ने किसी तरह से अपनी जमा की गई पूँजी में से थोड़ा बेच और उधार ले दो बेटियों को विदा कर दिया, अब तीसरी, चौथी भी तैयार थीं और बाकी यह मनहूस गले की हड्डी बनी हुई थी। भगवान ने एक बेटा तक न दिया, जो मरने के पीछे चिता में आग दे जिससे आत्मा को मुक्ति मिले। रामकिसुन जब-जब निरासा को देखता, लम्बी साँस ले पछताता रहता। पहली बेटे के लिए दामाद दुहाजू मिला था। खेती

बेटे की राह तकते जब रामकिसुन को पाँचवी बार भी बेटे हो गई, तो जैसे उसके कलेजे के उमड़ते हाहाकार ने प्रसूति घर में सोई लड़की का नाम निरासा रखकर जलते कलेजे की आँच को शान्त करने कोशिश की थी।

इस बार उसने दौड़ धूप में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। न जाने कहाँ-कहाँ जाकर पूजा में चढ़ावा नहीं दिया और मनौतियाँ नहीं मानी थी। देवता पितर पूजने के अलावा जिसने जो रास्ता बताया सबको बड़ी श्रद्धा से निभा दिया था। लेकिन परिणाम जस का तस था, जो होता चला आया था, वही हुआ। बधाई-बाजे वाले सिर झुका चुपचाप दरवाजे से विदा हो गए थे। जंग में हारे हुए सिपाही की तरह टीस मन में छिपाए, वह लोगों के बीच बचता फिरने लगा।

गृहस्थी, भरापूरा परिवार था, इसलिए उसने ज्यादा सोच विचार न करते हुए जल्दी से रिश्ता तय कर दिया और जितना जुटा सका उसी से बेटी को विदा कर दिया था। आगे उसकी किस्मत। दूसरी वाली के लिए दामाद दिमागी तौर से थोड़ा कमजोर था। मार-पीट तो नहीं करता था, लेकिन कब क्या कर बैठेगा, इसका होश उसको नहीं रहता था। दूसरी के यहाँ से कोई न कोई समाचार आते रहता था, वह कलेजे पर पत्थर रखकर दिन काट रहा था। अभी तीसरी और चौथी की भी उमर शादी के लायक हो रही थी। वह मारा-मारा फिरता वर के जुगाड़ में अपने को हलकान किए हुए था।

निरासा से ऊपर बड़ी दोनों बहनें घर परिवार की चिन्ता से बेखबर कभी इस सहेली के यहाँ तो कभी उस चाची के यहाँ घर से भागे रहती थीं। दोनों बड़ी बहनों को तो रामकिसुन ने स्कूल और किताब के दर्शन नहीं कराए, लेकिन आसपास आ रहे लड़के वालों के रिश्तों ने उसे समझा दिया कि लड़की अगर निरक्षर रह जाएगी तो बिरादरी का कोई लड़का उसके घर की देहरी नहीं लाँधेगा। कामकाज में लगी निरासा के बारे में उसे ध्यान देने की जरूरत नहीं लग रही थी। उसने दोनों बड़ी बहनों को हुक्म दे दिया था कि निरासा को घर में थोड़ा पढ़ा दिया करें, जिस पर उन्होंने कम ही ध्यान दिया था। रामकिसुन टोकता तो दोनों एक साथ निरासा की देहचोरी और बहाने बाजी के किस्से नमक मिर्च लगाकर सुना देती। रामकिसुन और उसकी घरवाली निरासा पर लानत-मलामत भेज उसका सब करम कर देते। हर बार कांड की समाप्ति निरासा पर बरसते लप्पड़-थप्पड़ से होती। निरासा रात के अंधेरे में सुबकती इस बात पर भरोसा कर लेती कि उसको सही में इस दुनिया में नहीं आना था। इस महापाप की माँ-बाबा जितनी सजा दे उतनी कम होगी। फिर दूसरे दिन सुबह से ही जिन्दगी के एक और दिन की सूली पर चढ़ वह दुनिया भर के जंजालों में अपने को खपा देती।

निरासा से बड़ी दोनों बहनों में गहरी छनती थी। स्कूल के बहाने से किसी भी काम को वे मन लगाकर करना नहीं चाहती थीं। आज टीचर ने इस काम के लिए पैसे माँगे हैं तो यह कॉपी खरीदनी है, कभी पेन चल नहीं रहा है। सौ दौब लगाकर दोनों बाबूजी से कुछ न कुछ रुपए मार ही लेती थीं। कभी चाट के खोमचे के पास दोनों सहेलियों के साथ खड़ी नज़र

आतीं तो कभी सोनपापड़ी बेचने वाले के पास भीड़ लगाए रहती। गाँव के कुछ लोगों के यहाँ डिस टीवी आ गया था, वह दोनों कभी-कभी वहीं घुसी रहतीं। दोनों जब मौज करके घर में घुसतीं, माँ-बाबूजी को बातों में उलझा कर भरोसा दिला ही देती कि उन दोनों का देर से आना कोई गुनाह नहीं था, जिनके लिए उन्हें सजा मिले। देर से आने का बहाना वे दोनों बात विचारकर सोचने-समझने के बाद ही बतातीं थी। दसवीं में पहुँचते-पहुँचते दोनों ही मैट्रिक पास होने के लिए एक मोबाइल रखना कितना जरूरी है, दोनों बाबूजी की डॉट-डपट के बाद भी उन्हें रोज समझाने लगती। कैसे प्रश्नों को हल करना है, जरूरी जानकारी कैसे हासिल करनी है, कहाँ से टेस्ट पेपर ऊपर करना है, इन सबके लिए उन दोनों को भी अन्य सहेलियों की तरह मोबाइल की सख्त जरूरत है! एक दिन तो दोनों ने बाबूजी का माथा इतना पका दिया कि हार-कोसकर रामकिसुन ने उन दोनों के लिए उधारी में एक मोबाइल ला ही दिया।

अब दोनों दीवार की ओट में तो कभी कमरे के किसी कोने में तो कभी चादर से मुँह ढाँपे धीरे-धीरे सबकी नज़र बचाकर फुसफुसाती रहती। माँ चादर टानने लगती तो पहली दूसरी की बगल में धीरे से मोबाइल सरका सोने का नाटक करती। कभी बात करते पकड़ी जाती तो कहती परीक्षा के बारे में बात कर रही थी। अनपढ़ माँ सत्यनाशी जमाने और पढ़ाई को कोसती और वहाँ से चली जाती। कभी-कभी निरासा पलकें उठाकर उन दोनों की चुहलभरी जिन्दगी को निहारती दोनों दुष्टता से उसको देखकर मुस्करा देतीं और उसकी मौजूदगी भूल अपनी हरकतों में लग जाती। दोनों की बगल में निरासा सोती, उसके कानों में भी कभी-कभी रमेसवा तो कभी चंदुआ के नाम टकराते, और दबी खिलखिलाहट भी अँधेरे में तैर जाती। वैसे निरासा सुन भी लेगी तो इस गूँगी के मुँह से बोली फुटने से रही। हिम्मत करके चुगली कर भी देगी तो बाबूजी को चराना चुटकियों में हो जाता, ई का उखाड़ लेगी। इन दोनों के दुस्साहस बढ़ते ही चले जा रहे थे, निरासा के मन में अजीब सी थरथराहट उठती। उसके हाथ-पाँव सुन्न होने लगते वह रात दिन घर के कामों में डूबी रहती। उसके घर के पास आवारा लड़कों का मंडराना, दोनों बहनों का इशारे से दरवाज़े की ओट से हाथ हिलाकर बातें करना बढ़ता जा रहा था। वह कॉपकर धीरे से अपने को कमरे के भीतर किसी ओट में

छिपा लेती। पता नहीं क्यों उसे दोनों बहनों की बेशर्म बातें और दिन-ब-दिन बढ़ते जाते हौसलों से न जाने एक आंतक महसूस होता रहता था, लगता कोई उसका गला भींचता चला जा रहा है। दोनों की चुहलबाजियों से अनजान माँ-बाबूजी अपनी ही परेशानियों से जूझते रहते। निरासा को कोई दीवार नज़र नहीं आती जिसे पकड़ वह थोड़ी देर टिककर सुस्ता सके!

कल रात में ही दूसरी वाली लड़की की ससुराल से एक आदमी आकर समाचार दे गया था कि दामाद का रोग ज्यादा बढ़ गया है। अब तो घर में अपनी घरवाली-बच्चों को ज्यादा ही मारपीट करने लगा है।

आधी-आधी रात में सबको मारपीट कर घर से बाहर निकाल देता है। आज भोर में अँधेरा रहते लड़की का ससुर उन सबको कुछ दिन के लिए यहाँ छोड़ उल्टे पैर वापस लौट गया था। पूरे आँगन में रोना धोना और चख-चख मच गई थी। पास-पड़ोस की औरतों का आना जाना बढ़ गया। कब दामाद की तबियत ठीक होगी और बेटी को कब भेजेंगे राम जाने, जो औरत आती ससुराल से आई बेटी के फूटे करम को तो कोसती ही साथ ही मुपत में मिले मौके का फायदा उठाते हुए बिन ब्याही बेटियों के लिए अगल-बगल के गाँव के रिश्तों की चर्चा करना न भूलतीं। दोनों बहनों को साँड की तरह छुट्टी घूमने और इधर-उधर से सुनी आवारागर्दी बातों को भी आँगन में उछाल वातावरण को तनावग्रस्त कर देतीं। औरतों से घिरी माँ वहीं से बगल में रखी चट्टी को दिन-दिन बाँस की तरह बढ़ती बेटियों पर फेंक भरपेट गालियाँ दे अपने जले भाग्य को कोस बिसुरने लगती। दोनों चूरन का चटकारा लेती वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझतीं।

इसी बीच शोक की मूरती बनी माँ को अभी-अभी ससुराल से आई सबसे बड़ी बेटी ने सयानी बुढ़िया सी सीख दे डाली कि इसमें डागदर का काम नाही ओझा का काम है। माँ ने, कपाल पर हाथ ठोकते कहा कि बेटी के ससुरालवालों ने कोई कमी नाही छोड़ी है। अब तकदीर का लिखा कौन टाल सकता हैं। और निरासा हलाल होते बकरे की भाँति भयभीत होकर चारों ओर मूक बन गर्दन हिला रही थी। वैसे ही अदालत में माथा झुकाए मुजरिम की तरह, घूरती बुढ़ियों की तरह जिरह पर जिरह सुनती चुपचाप आँसू पोंछ किसी काम में अपने को समालेना चाहती।

औरतों, बच्चों और बेटियों की तू-तू, मैं-मैं और

कमरे-आँगन में इधर-उधर बिखरे सामान और फैली जूठन पर भिनकती मक्खियों को देख रामकिसुन दुनिया छोड़ देने की कसमें खाता और एकाएक दिमाग को सातवें आसमान पर चढ़ाकर गरज उठता, निरसवा कहॉ मर गई! उठा झाड़ू! अब बकलोल जैसा ताकते रहेगी की सफाई करेगी। सफाई का शब्द कान में पड़ते ही मुर्दे में जान पड़ जाती और वह झाड़ू से जैसे पूरी धरती को बंवडर की ताकत लिए बृहार देना चाहती।

दिन रोते-झींकते बीत रहे थे, ससुराल से आई बेटी विदा होने को तैयार नहीं हो रही थी। वह बार-बार रामकिसुन के पैर पकड़ ले रही थी। पास-पड़ोस के खेतों में मजदूरी कर अपना और बच्चों का पेट पालने को तैयार थी, लेकिन बदनामी का अजगर रामकिसुन की पसलियों को तोड़े दे रहा था। एक तरह से उससे भीख मांगती, रोती कलपती बेटी को कलेजे पर पत्थर बाँध विदाकर, उसे भगवान और भाग्य के हवाले कर दिया। अब होनी को तो कोई नहीं टाल सकता जैसा भाग्य लिखवाकर लाई है, वही न भुगतना होगा। धीरे-धीरे वह संसार के दूसरे टंटो में उलझता चला गया और बेटी की चिन्ता को भुलाने की कोशिश में लग गया।

कई महीने तक ससुराल गई बेटी का कोई ऐसा-वैसा हाल समाचार नहीं आया। रामकिसुन के मन का बोझ हल्का होने लगा। उसने चैन की साँस ली। दिन बीत रहे थे, कि एक दिन अचानक बेटी का ससुर दहाड़ मारते हुए आँगन में घुस आया। साथ में परिवार के तीन चार बूढ़े बुजुर्ग थे। बेटी और बच्चों की दुर्घटना के बारे में हिचकिंचा लेते हुए, उसने बताया कि किस तरह रोकने पर भी बेटे ने मारपीट कर आधी रात में जोर जबर्दस्ती करके बहू और बच्चों को घर से बाहर कर दिया। वह बदहवास-सी बच्चों को लेकर रोड पर चली जा रही थी। दूर से हॉर्न देता हुआ ट्रक काल की तरह बढ़ा चला आ रहा था। अपने दुःख में पागल उस अभागिन ने न कुछ देखा और न ही ट्रक की आवाज़ सुनी। ट्रक बच्चों समेत उसे कुचलता चला गया। घर में घाट ले जाने की तैयारी चल रही है। बेटे को कमरे में रस्सी से बाँध बंद कर दिया है। चारों तरफ उठते हाहाकार से अचेते हुआ सा रामकिसुन खुद जिन्दा लाश बना हुआ बेटी की ससुराल चला जा रहा था। न जाने कितने दिनों तक चिता की धू-धू से रामकिसुन का कलेजा राख होता रहा। पत्थर सा जड़ बना वह दिन-रात अपने को काम में झोंके रहता। समय के

साथ-साथ सब सहज होता चला गया। फिर निरासा से बड़ी दोनों बहनों की लुका-छिपी शुरू हो गई। वही देर से आना बहानेबाजी और सबसे छिपकर मोबाइल पर लड़कों से चुहलबाजी।

इधर निरासा देख रही थी कि कुछ दिनों से दोनों बहनें उदास और कुछ तनाव में हैं। कुछ होगा सोचकर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नवरात्रि चल रही थी एक दिन शाम को माँ-बाबूजी बगल के गाँव में रह रही बुआ से मिलने गए थे। बोल गए थे किवाड़ अच्छी तरह बंद कर लेना। उन्हें लौटने में रात भी हो सकती है। दोनों बहनें गुमसुम चुप्पी साधे बैठी हुई थीं। अँधेरा उतर आया था। किसी ने बड़की का नाम लेकर जोर से पुकारा दोनों सहम गईं। निरासा के पैर डर से थरथराने लगे। खटखटाहट बँद नहीं हो रही थी। दोनों में से एक ने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही दो-तीन आवारा किस्म के लड़के घुस आए। घुसते ही एक-एक ने दोनों के हाथ पकड़ लिए और उसमें से एक ने गुर्रा उठा, तुमलोग रसाली मनोजवा के साथ कहाँ स्कूटर में घूमने गई थी। उसने एक का हाथ मरोड़ते हुए कहा 'हमको पता था कि आज घर में कोई' नहीं है, अभी मनोजवा के साथ हा हा-ही ही करना निकालते हैं। दोनों की नज़र निरासा पर नहीं पड़ी थी, उसने कहाँ से तो हिम्मत जुटाकर अँधेरे कोने में रखा छाता उठाकर जोर से उनलोगों की तरफ फेंका। अचानक किए गए वार से हतप्रभ उन दोनों के हाथ की पकड़ ढीली हो गई। दोनों बहनों को जैसे ही मौका मिला वे बाहर भागकर सड़क की दूसरी ओर झाड़ियों में छिप गईं। पड़ोस में कीर्तन की आवाज़ जोर-जोर से आ रही थी। आस-पास के लोग नवरात्रि कीर्तन में मगन थे, लड़कों के हाथ से शिकार छूटकर भाग गया था। उनमें से एक दाँत पिसते, गालियाँ बकते हुए अँधेरे कोने में दुबकी निरासा की ओर बढ़ा 'रसाली, तू भी अपने यार के चक्कर में यहाँ राह देख रही है। अच्छा, उ लोग नहीं तो तू तैयार बैठी है।' 'चोप्...'की आतंक भरी आवाज़ ने निरासा की चेतना को हर लिया। वह बदहवास अचेत सी उन दरिंदों के बीच घिसटती रही बिलबिलाती रही, आवाज़ तो कब की गूँगी हो चुकी थी।

उन सबके भागते ही दोनों बहनें झपटती हुई भीतर आईं। निरासा आँगन की मिट्टी में लिथड़ी अचेत पड़ी थी। उन दोनों के पीछे माँ-बाबूजी भी बतियाते घुसे। दोनों को देखते ही एक बोल उठी 'माँ-बाबूजी उ...उ निरसवा...।'

तब तक एक लालटेन ले आई और चीत्कार कर उठी 'देखो बाबूजी देखो माँ, निरासा का चरित्तर इ चुपचाप लड़कों से दोस्ती कर इशारे करती थीं।'

दूसरी ने बात सम्हाल 'ली ई बेईमान चोट्टी, बाहर गोबर पाथने जाती थी कि नैन मटक्का करती थी। आज मौका देखते ही तीन चार लड़कों को बुला सत्यानाश कर लिया।'

रामकिसुन ने इतना सुनते ही उन्मादियों की तरह लात मुक्कों से अचेत निरासा की जमकर धुनाई कर दी। माँ झोंटा पकड़ खीचते हुए कमरे में ले गई। रात भर धूल मिट्टी और खून से सनी लोथड़ा बनी

काया सूजा हुआ मुँह और हाथ पैर लिए सुबकती रही, कराहती रही। दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ थामे रात भर आशंकित, भयभीत चादर में मुँह ढाँपे चुपचाप पड़ी रहीं। जब जब निरासा की घायल नज़र दोनों बहनों की ओर उठतीं, दोनों पूरी दुनिया की ठिठाई आँखों में समेटे ललकारती हुई उसे पंजा लड़ाने की चुनौती दे देती। दोनों बहनों की दुष्टता भरी हँसी उसे और भी पस्त कर देती थी।

निरासा को गर्भ ठहर गया था। माँ दीन दुनिया से छिपाति सौ बहाने बनाते पागल सी हो जाती। कभी-कभी बौराई सी छाती पीट बाल नोचने लगती तो कभी निरासा का सिर दीवार पर दे मारती। ऐसे समय में रामकिसुन माथा झुकाए बाहर चला जाता। दोनों बहनें भी खिसकने में अपनी भलाई समझतीं। निरासा से काम नहीं होता था। दिन भर माँ दोनों बहनों को गालियाँ बकते बाहर से घर लाती दोनों थोड़ा-मोड़ा कुछ करतीं, न करतीं और कब आँखों में धूल झाँक चम्पत हो जातीं पता ही न चल पाता।

रामकिसुन बच्चा जनमाने वाली दाई को अँधेरे में उसके घर जा मोटी रकम दे आया था। और चेता आया था खबरदार किसी को कानों-कान खबर न हो नहीं तो खैर नहीं। बच्चे के साथ उसको भी जिन्दा गाड़ देगा।

आखिर वह मुसीबत की घड़ी आ ही पहुंची, जब दाई ने निरासा को प्रसव कराया और नवजात शिशु को रामकिसुन के साथ बेजान कर दफना-वफना कर छुट्टी कर चैन की साँस ली।

कुछ दिनों के बाद बुत बनी निरासा धीरे-धीरे पहले की तरह गृहस्थी का जूआ कंधे पर रख काम धंधों में जुट गई। धीरे-धीरे परिवार सब दुःख-दर्द भूला अपने संसार में रम गया।

‘सुनो जी, ऐसा नहीं हो सकता ई जनमजली करमजली निरसवा का रिश्ता उ दामाद से तय कर दिया जाए। बेटी तो नहीं रही लेकिन उसका परिवार मानो अपना ही परिवार। बेचारे अभागे दामाद को दो जून खाना मिले, बूढ़े बाप को भी हुक्का पानी देनेवाली मिल जाए ई तो हमारा भी फरज बनता हैं। अब उ तो बीच राह में लुटिया डूबा चली गई, दामाद का घर बसाना तो परोपकार का काम होगा। उसके ससुराल का एक रिश्तेदार लड़की सबकी पूछताछ कर रहा था। ई दोनों बड़की तो कैसे भी विदा हो जाएगी। गाँव-जवार को कह देंगे दोनों की बात पक्की हो गयी हैं। लड़का पढ़ रहा है, एक दो साल लगेगा। वो बतिया रहा था कि ब्याह का पूरा खर्चा वही लोग उठाएँगे। निरासा के बाप ने जैसे निरासा की माँ को मनुहार करते पूछा।

‘लेकिन...निरासा’ की माँ अचानक पूछे जाने से अकबका गई।

देखो जी लेकिन-वेकिन कुछ नहीं। मरद तो लुगाई के मरने पर कितनों ब्याह कर सकता है। ई तो दूसरका ब्याह है। थोड़ा ऊँच-नीच तो चलाना पड़ता है। उ बोल रहा था कि अभी दामाद मोटा-मोटी ठीक हो गए हैं। अरे समझो बिना मगज मारी के ई छाती का बोझ हल्का हो जाएगा। अब इसकी किस्मत में भगवान यही लिख दिए हैं तो हम का करेगें। और ई कुलछनी की लीला कौनो जानेगा तो दरवाजे पे थूकने भी न आवेगा, छोड़ो, सलट जाने दो मामला। टाँग मत अड़ाओ। ‘इतना कहते ही रामकिसुन पैरों में चट्टी डाल, कँधे पर गमछा रख जाने की तैयारी करने लगा।

□□

लेखिका : वरिष्ठ कथाकार हैं।

सम्पर्क : प्रोफेसर रणजीत सिंह रोड न.-4, कैतारी बगान, सामलोंग, पोस्ट-नामकुम, रांची-834010, झारखण्ड

ईमेल : parmarn08@gmail.com

लघुकथा

माँ का संदूक

||नीरज त्यागी

राम और श्याम की माँ एक संदूक को हमेशा ताला लगाकर रखती थी। दोनो भाई यह सब बचपन से देख रहे थे। उन दोनों के मन में जिज्ञासा रही कि आखिर माँ इस संदूक में ऐसा क्या रखती है जिसे वह किसी से बताना नहीं चाहती? समय गुजरता गया दोनों भाई अपनी युवावस्था में पहुंच गए, लेकिन उनके मन का सवाल हमेशा की तरह वही रहा कि माँ के इस संदूक में ऐसा क्या है जिसे वह किसी से बताना नहीं चाहती?

कुछ समय पश्चात जब दोनों भाइयों की शादी हो गई और दोनों अपनी-अपनी घर गृहस्थी में रम गये। बाल बच्चेदार हो गये। अब दोनों बहुओं की अपनी साँस से न बन रही थी। उन दोनों के दिमाग में भी हमेशा यही बात रहती थी कि सासू माँ ने इस संदूक में शायद बहुत सा पैसा जोड़ रखा है, जिसे वह किसी को बताना नहीं चाहती।

अब दोनों भाइयों की अपनी मां से ये तकरार हमेशा बनी रहती थी कि आखिर इस संदूक में क्या

रखा है उन्हें दिखाए, लेकिन उनकी मां अपने दोनों बच्चों से कहती थी समय आने पर दिखा देगी।

समय बीतने के साथ, एक वक्त ऐसा आया कि राम और श्याम की माँ की मृत्यु हो गयी। अब दोनों भाइयों को खुली छूट थी कि वह देख सके कि संदूक में ऐसा क्या है जो उनकी माँ हमेशा उनसे छिपाती थी। अभी माँ को मरे हुए 5 दिन भी नहीं हुए थे कि रात के समय दोनों बेटे और बहुएं मिलकर संदूक का ताला तोड़ देते हैं और देखते हैं उसमें क्या है?

संदूक का ताला तोड़ने के बाद दोनों बच्चों की आँखे हक्का-बक्का रह जाती है। संदूक के अंदर राम और श्याम को अपना बचपन दिखाई देता है। दोनों भाइयों के बचपन की कुछ यादें। बचपन के कपड़े कुछ फटे हुए जूते और हाथ से बुने हुए स्वेटर जो राम और श्याम ने कभी पहने होंगे।

राम और श्याम और दोनों बहुएं आज अपने आपसे नज़र नहीं मिला पा रहे थे। जिस बचपन को उनकी माँ ने एक संदूक में संजो के रखा हुआ था। आज खुला संदूक दोनों को मुंह चिढ़ा रहा था दोनों नज़र झुकाए संदूक की ओर देखते हुए शर्मिदा और अपराध बोध से खड़े थे। □

सम्पर्क : 65/5 लाल क्वार्टर राणा प्रताप स्कूल के सामने, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001
ईमेल : neerajtya@yahoo.in

कवियों की पंक्तियां



जाति का किला

जाति का किला
क्या कभी ढह नहीं सकता?
नहीं!
क्यों नहीं?
क्या हमारे पास
सैनिकों की कमी है?
जी नहीं!
सैनिक तो लाखों हैं
किन्तु एकमत नहीं।
कुछ कहते हैं
इस किले को
तोड़ना असंभव है!
कुछ कहते हैं
रहने दो
किला बहुत सुंदर है
कुछ सैनिक हैं मार्क्सवादी
वे कहते हैं
मार्क्सवादी की तोप चलानी होगी
आधे से अधिक सैनिक
हैं अम्बेडकरवादी
वे उन्हें रोकते हैं
वे कहते हैं
ठहरो!
अम्बेडकर ने कहा था—
धम्म के महल में प्रवेश कर जाओ
जाति का किला
अपने आप ढह जाएगा

किन्तु कुछ युवा सैनिक
प्रश्न करते हैं
उस किले से इस महल का
क्या संबंध है?
अम्बेडकरवादी सैनिक
आँखें लाल करके
कहते हैं, तुम नकली हो
हमारी सेना के नहीं
तुम हो घुसपैटिए।

वाद से विवाद होता है
उसके बाद होती है लड़ाई
बस यूँ ही
बीतता जा रहा समय
लड़ रहे हैं आपस में
समता के सैनिक
और, जाति का किला
अभी तक सुरक्षित है।

वे और तुम

ठीक है,
मैंने माना कि
वे...
मगर जैसा आँसू बहाते हैं
गिरगिट जैसा रंग बदलते हैं
बिच्छू जैसा डंक मारते हैं
जोंक जैसा खून चूसते हैं
लेकिन तुम?
तुम भी तो कुछ कम नहीं,
घोड़े जैसा हिनहिनाते हो
हाथी जैसा दाँत दिखाते हो
गीदड़ जैसी चाल चलते हो
बंदर के जैसा उछलते हो
तुमने अब तक क्या दिया है?
अपने समाज को
रोटी, कपड़ा, मकान?
प्रेम और सम्मान?
उचित मार्गदर्शन?
या सिर्फ भाषण?

देवचंद्र भारती 'प्रखर'

सम्पर्क : असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, हरिन्दन स्नातकोत्तर
महाविद्यालय मोहरगंज, चंदौली (उत्तर प्रदेश)

ईमेल : prakhar05412@gmail.com

मजबूरी

सड़कें भरी हैं मजदूरों से
हाय ये कैसी है मजबूरी।
सभी कायदे धरे रह गए,
कहाँ गई सामाजिक दूरी।
जाने कितने सपने लेकर,
मैं गाँव से निकला था।
बच्चे भूखे न रहें बस,
यही मेरी थी मजबूरी।
मैं था बेबस नहीं,
मेहनत से लेता मजदूरी।
वक्त और हालात मेरे,
आज बन गए मजबूरी।
कोरोना के कहर ने मेरी,
रोजी-रोटी छिनवाई।
इसीलिए लौटना पड़ा गाँव की ओर,
हो गई मेरी मजबूरी।
सिर पे गृहस्थी लादकर,
थामें नन्हें बच्चों की उंगली।
फूटते छाले बहते लहू के,
पैरों से नाप रहा हूँ दूरी।
टूट चुकी है पांव की जूती,
पेट में भी नहीं है रोटी।
चलते-चलते जलती सड़क पर,
जख्म बन गए हैं नासूरी।
गर्भवती पत्नी भी मेरी,
सहती रही प्रसव की पीड़ा।
जन्मते ही सड़क पर बच्चा,
चल पड़ी नापने को दूरी।
मासूमों की मुस्कान छिन गयी,
बहने लगी आँसूओं की लड़ी।
नन्हें कदम फिर भी न रुके,
रेल की पटरियों पर कुचल गए,
हाईवे की सड़कों पर मर गए!
गाँव पहुँचने की इच्छा भी,
रह गई मन में ही अधूरी!
बचकर जो गाँव पहुंचा
फिर मैं कभी शहर लौटूंगा!

डॉ. राधा वाल्मीकि

सम्पर्क : बी. 3/669 चकफेरी कॉलोनी, निकट रामलीला
मैदान, पन्तनगर, उधमसिंह नगर-263145, उत्तराखण्ड
ईमेल : radhavalimiki@gmail.com



आत्मनिर्भर भारत

सभ्यता की कौन सी यह पावदान
जिसपे आ बैठा है यह सारा समाज
है अंधेरों और अंधेरों से भरा
पांव में छाले लिए मेरा समाज।
एक पल बस सोच लो तुम हो वहां
है जहां मजदूर पावों से चला।
चाय तुम थे बेचते तुमने कहा
जी नहीं माना, मगर माना गया।
लाख पंद्रह यूँ ही मिल जाने की बात
हमने सोची पर कभी चाही नहीं
स्वप्न लोकों की कराई सैर तुमने
पर कभी उस पर हंसी आई नहीं।
हमने सोचा था भला यह आदमी
मुश्किल पड़ी तो काम आएगा कभी
हम जहाजों की सैर नहीं है चाहते
झूठ भी बोला नहीं तुमसे कभी।
हाथ पर अब तक भरोसा था हमें
लेकिन रोजी नहीं तो अब क्या खाएंगे।
हमें तुम मत रेल, बस के बारे में और ज्ञान दो
हम हमेशा से रहें हैं निर्भर आत्म पर
हो सके तो थोड़ा सा सम्मान दो
जाने दो, जाने दो, बस जाने दो
गांव अपने अब हमें बस जाने दो।
फूल बरसाने के हम कायल नहीं
लाठियां न बरसाओ बस इतना मान लो।
हम समझ लेंगे रहीं होंगी कोई
मजबूरियां मेरी भारत सरकार की।

डॉ. श्रद्धा

संप्रति : भारत सरकार के राजभाषा विभाग में
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक।

सम्पर्क : आर-24, राज कुंज, राज नगर,
गाजियाबाद-201002, उत्तर प्रदेश
ईमेल : shraddhar24@gmail.com

समर्पित जीवन को सलाम!



भारतीय सामाजिक संस्थान से सेवानिवृत्त तीन फादर जिसमें ज्वॉय करयामपुरम, रूडोल्फ हेरेडिया, सनी भाई (स्तानिस्लॉस जबमालाई) का विदाई कार्यक्रम 5 जून, 2020 को आयोजित किया गया।

ज्वॉय करयामपुरम

फादर ज्वॉय करयामपुरम, विधिक सलाहकार की वर्ष 2013 में भारतीय सामाजिक संस्थान के 'मानवाधिकार और विधि विभाग' में विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हुई थी।

एक प्रशिक्षित अधिवक्ता के रूप में उन्होंने विभाग की जिम्मेदारियों को भली भांति निभाया और गरीब, पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किये। कुछ समय के बाद 'मानवाधिकार और विधि' विभाग के कार्य और जिम्मेदारी के आधार पर उसका नाम बदलकर 'प्रशिक्षण इकाई' (ट्रेनिंग यूनिट) रखा गया। आगे चलकर कानूनी मदद, शिक्षा एवं अल्पसंख्यक और मानवाधिकार सम्बन्धी मुद्दों पर कानूनी हस्तक्षेप की प्रबल मांग होने लगी। समय की ऐसी मांग को ठोस रूप में सम्बोधित करने के उद्देश्य से 'प्रशिक्षण इकाई' को संस्थान में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में 'विधि एवं मानवाधिकार केन्द्र' (सेन्टर फॉर ह्यूमन राइट एण्ड लॉ (सीएचआरएल) के नाम से स्थापित किया गया। इस प्रकार फादर ज्वॉय के मार्गदर्शन में संस्थान के इस केन्द्र द्वारा मानवाधिकार, विधि, न्याय और प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया गया। फा. ज्वॉय के नेतृत्व में विधि एवं अधिकार सम्बन्धी कई प्रकार के कार्यक्रम सम्पन्न हुए।

विधिक प्रशिक्षण : विधि एवं मानवाधिकार विभाग के द्वारा कई प्रकार के प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न हुए जैसे—महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक और शैक्षिक अधिकार, व्यावहारिक कानून सम्बन्धी प्रशिक्षण, झुगगी बस्तियों की समस्या के

विरुद्ध आवाज़, आदिवासी एवं दलित अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण और समन्वय, युवाओं को प्रशिक्षण आदि मुख्य कार्य शामिल हैं।

प्रकाशन कार्य : फा. ज्वॉय ने विभाग के द्वारा कानून सम्बन्धी जानकारी देने वाली मासिक पत्रिका 'लीगल न्यूज़ एण्ड व्यूज़' का नियमित सम्पादन किया और उसे नया आकार भी दिया। इनके मार्गदर्शन में 'कानूनी शिक्षा शृंखला' (लीगल एजुकेशन सीरिज) का सफलतापूर्वक संचालन हुआ। इसके अलावा कई पत्रिकाओं में लेख और अपने विचार प्रकाशित करते रहे।

कानूनी हस्तक्षेप (Litigation) : एक अधिवक्ता की हैसियत से फादर ज्वॉय और पूरा विभाग गरीबों, विधवाओं, पीड़ितों, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और चर्च से सम्बन्धित समस्याओं का निपटारा करने में मदद करते रहे। 'कोर्ट प्रैक्टिस' के माध्यम से वे सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, ट्रिब्यूनल (एनसीडीआरसी), अल्पसंख्यक आयोग आदि न्यायालयों में पीड़ितों की बातों को रखते रहे हैं।

इसके अलावा इनके मार्गदर्शन में विभाग ने कई संस्थानों जैसे राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) एवं दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग आदि के साथ व्यावसायिक और व्यावहारिक सम्बन्ध बनाने में सफलता हासिल की। सर्वोच्च न्यायालय अथवा 'पब्लिक डोमेन' में बहुचर्चित मुद्दों जैसे तीन तलाक, अल्पसंख्यकों के अधिकार आदि पर विशेषज्ञों के माध्यम से गोलमेज चर्चा कराते रहे और जनमानस में मुद्दों के प्रति जागरूकता पैदा करते रहे। उपरोक्त सभी कार्यों के अलावा वे लम्बे समय से संचालित शान्ति सद्भावना को बढ़ावा देने वाले अभियान 'शांति सद्भावना मंच' के निदेशक रहे, जिसका

लाभ कई प्रदेश के गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय उठा रहे हैं।

रूडोल्फ हेरेडिया

प्रख्यात समाजशास्त्री रूडोल्फ हेरेडिया (रूडी) का नाम हमारे देश के बड़े समाजशास्त्रियों में गिना जाता है। उन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय, लगभग 15 वर्ष भारतीय सामाजिक संस्थान को दिये हैं। उनका तबादला इस संस्थान में तीन बार तक हुआ। सर्वप्रथम वे 1992 से 1994 तक संस्थान में शोध विभाग के प्रमुख रहे। उसके बाद वे 2004 से 2010 तक संस्थान की शोध पत्रिका 'सोशल एक्शन' के मुख्य संपादक रहे, फिर सन् 2016 से मई 2020 तक संस्थान में शोध सलाहकार के रूप में रहे। इस प्रकार भारतीय सामाजिक संस्थान में रहते हुए रूडी का मुख्य काम अपनी लेखनी एवं चिंतन के माध्यम से भारतीय समाज में फैली बुराईयों और समस्याओं पर एक विशेषज्ञ दृष्टिकोण पेश करना था जिसको उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी से निभाया। संस्थान में रहते हुए उन्होंने महाराष्ट्र के कतकरी आदिवासियों पर पुस्तकें लिखी। उनके बहुत सारे योगदान में मुख्य रूप से उनकी व्यापक प्रशंसित पुस्तकें 'चेंजिंग गॉड्स', 'टेकिंग साइड्स' और अब आनेवाली 'रेकन्साइलिंग डिफरेंस: कलेक्टिव वायलेंस इन इण्डिया' आदि प्रमुख हैं।

फा. रूडी ने इस संस्थान में शोध सलाहकार और शोध मार्गदर्शक के पद पर रहते हुए देश के विभिन्न संस्थानों और समुदायों को संबोधित किया और अपना ज्ञान बांटा। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता के द्वारा संस्थान के शोध विभाग को नई दिशा और जान दी। अपने कार्यकाल में वे अपने सहकर्मियों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे और उन्होंने संस्थान में सह-कर्मचारियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध एवं सौहार्द्रपूर्ण टीम भावना विकसित करने पर जोर दिया। अपनी शोध प्रवृत्ति और समाज के जिम्मेदारपूर्ण व्यक्तित्व के कारण फादर रूडी भारतीय सामाजिक संस्थान में काम करनेवालों के लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। संस्थान में रहते हुए पुस्तकों के अलावा उन्होंने कई शोधपत्र प्रकाशित किये, जो आनेवाले लम्बे समय तक पाठकों को प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे।

सनी भाई (स्तानिस्लॉस जबमालाई)

फादर सनी भाई जो एक वकील हैं इनका प्रारंभिक कार्यक्षेत्र गुजरात का ग्रामीण इलाका रहा है। वहाँ पर उन्होंने आदिवासी समाज और अन्य गरीब तबके के लोगों के लिए काफी काम किया। वहाँ पर आदिवासियों के साथ हो रहे अत्याचार को देखकर और उनके संघर्षों से प्रभावित होकर उन्होंने अन्य वकीलों के साथ मिलकर उनकी कानूनी सहायता करने की कोशिश की। इसी प्रयास में उन्होंने

गाँव-गाँव में जाकर आदिवासियों को कानूनी जानकारी और जागरूकता का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। आज उनकी प्रेरणा से बहुत सारे आदिवासी वकील बनकर वहाँ के लोगों को हक और अधिकार दिला रहे हैं।

फादर सनी भाई ने सात लोगों के साथ मिलकर आदिवासी एकता और पहचान को बचाने के लिए एक संगठन बनाया। उस संगठन के जरिए उन्होंने पहली बार गुजरात में सन 1994 में 'आदिवासी दिवस' सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। उस कार्यक्रम का मुख्य नारा था 'जय आदिवासी, जागो आदिवासी'। इसके बाद सनी भाई का स्थानांतरण भारतीय सामाजिक संस्थान में स्थित 'जेसुइट्स इन सोशल एक्शन' (जेसा) में सचिव के पद पर हुआ।

दिल्ली में सनी भाई ने आधिकारिक तौर पर जेसा के सचिव का पदभार 15 अक्टूबर, 2011 को सम्भाला। जेसा का कार्यक्षेत्र भारत, नेपाल, और श्रीलंका है। इसमें 120 सामाजिक केंद्र भी हैं। जेसा का कार्यभार सनी भाई के लिए काफी चुनौतिपूर्ण था, क्योंकि उनका कार्यक्षेत्र काफी बड़ा था। झारखंड, दार्जीलिंग, और नेपाल जैसे क्षेत्रों में आदिवासियों के साथ मिलकर उन्होंने 'जन नेतृत्व पहल' जैसे अभियान की शुरुआत भी की। उनका विचार था कि 'जब तक पीड़ित अपनी समस्या को लेकर आगे नहीं आएगा तब तक कोई भी उसकी सहायता नहीं कर पाएगा'। इसलिए जरूरत थी जमीन से जुड़े हुए लोक नेतृत्व की। इसी पहल के जरिए उन्होंने 'जन नेतृत्व पहल' की शुरुआत की।

भारतीय सामाजिक संस्थान के साथ मिलकर सनी भाई के नेतृत्व में जेसा ने 'लोकमंच', जो एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, की शुरुआत की। लोकमंच का मुख्य उद्देश्य— 'समाज के विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर लोगों के जीवन में बदलाव लाना' था। सनी भाई की कड़ी मेहनत से आज लोकमंच एक सफल और स्वतंत्र कार्यक्रम के रूप में चल रहा है। इसके तहत संगठित सामाजिक नेतृत्व की संरचना हुई है। परिणामस्वरूप, सनी भाई के नेतृत्व में लोकमंच एक स्वतंत्र, सक्षम, और आत्मनिर्भर संगठन बन गया है। जेसा और लोकमंच के माध्यम साढ़े आठ साल तक हाशिये के लोगों की हकों के लिए काम करने के बाद वे सेवानिवृत्त होकर गुजरात लौट रहे हैं।


भारतीय सामाजिक संस्थान से जुड़कर हाशिये के लोगों के लिए उनके कार्यों की सहायता करते हुए 'हाशिये की आवाज़' परिवार इन सभी फादरों का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता है। □

प्रस्तुति : डॉ. भिन्सेन्ट एक्का, डॉ. अर्चना सिन्हा,
डॉ. बेंजामिन बारा

प्रेरणा के स्रोत



फा. रूडोल्फ हेरेडिया



फा. जॉय करयामपुरम



फा. सनी भाई

शांत!
व्यापक
एक तेजस्वी
एक प्रेरणास्रोत
एक पीढ़ी जागने वाले
समाज को चेतनाशील करने वाले
एक
बेहतरीन इन्सान!
प्रेरणा स्रोत!
आत्मीय सम्बन्ध!

निःस्वार्थता!
बेहद शांत!
सागर जैसे शांत!
एक आदर्श!
बेहतर समाज की स्थापना में!
अपना पूर्ण जीवन
निष्ठावर!
क्या यह आशान है?
बिलकुल नहीं!
कदापि नहीं!
लेकिन इसे
इन्होंने

आशान बनाया है!
सच्चा त्याग
सच्ची सेवा
कै रूप
हैं ये!

सैयद परवेज

Posted on
24th of every advance month

Registered with RNI
RNI No. DELHIN/2006/17288
DL(S)-17/3277/2018-20
Price Rs. 25

MUTUAL FUNDS
Make It Wisely

SHREYAS
INVESTMENT SERVICE
enjoy prosperity!

INVESTMENTS MAKE IT WISELY

MUTUAL FUNDS
FINANCIAL PLANNING
EQUITY & DERIVATIVES
TAX SAVING & RETIREMENT SOLUTIONS
FIXED INCOME SCHEMES
INSURANCE

SHREYAS
INVESTMENT SERVICE
enjoy prosperity!

No. 6, First Floor, TDI Center, Jasola, New Delhi - 110025
Tel: 011 46121543, Mob: 9810492208
Email: bdaniel@shreyasinvest.in, Web: shreyasinvest.in